शिक्षा विभाग हरियाणा

की

वर्ष 1980-81

की

वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट

प्रकाशक

निदेशक, शिक्षा विभाग, हरियाणा

विषय विवर्णिका

अध्याय	विषय	पृष्ठ
	रिपोर्ट की समीक्षा समालोचना	1—8
1.	सामान्य सार	10—16
2.	शिक्षा विभाग का प्रशासन एवं संगठन	17—20
3.	विद्यालय शिक्षा	21—28
4.	महाविद्यालय शिक्षा	29—32
5.	शिक्षक प्रशिक्षण	33—34
6.	प्रौढ़ शिक्षा एवं अनौपचारिक शिक्षा	35—39
7.	महिला शिक्षा	40—42
8.	शिक्षा सुधार कार्यक्रम	43—45
9.	छात्रों के लिए छात्रवृतियां तथा अन्य वित्तीय सहायता	46—49
10.	विविध	50—55
11.	परिशिष्ठ 'क'	56—57
12.	परिशिष्ठ 'ख'	58—59
13.	परिशिष्ठ 'ग'	60—61

शिक्षा विभाग हरियाणा की वर्ष 1980-81 की प्रशासनिक रिपोर्ट की समीक्षा

वर्ष 1980-81 में शिक्षा विभाग पिछले वर्षों की भांति राज्य में शिक्षा में सामान्य रूप से विकास कार्य करता रहा है। शिक्षा के विकास में राजकीय शिक्षा संस्थाओं के अतिरिक्त अराजकीय विद्यालयों तथा महाविद्यालयों ने भी आवश्यक योगदान दिया है। राज्य में दो सम्बन्ध विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र तथा महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक हैं। शिक्षा विभाग सामान्यत: शिक्षा के विभिन्न स्तरों सम्बन्धित विकास योजनाएं बनाने, उनसे सम्बंधित कायक्रमों को कार्यान्वित करने तथा उनके उचित समन्वय का कार्य करता है।

इस अवधि में राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में संतोषजनक प्रगति हुई। शिक्षा के स्तर को समुन्नत करने सम्बन्धी कार्यक्रमों पर भी विशेष बल दिया गया। इस विभाग की गतिविधियों को मुख्यत: निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है।

(क) शिक्षा की विकास योजनाओं का बनाना तथा उनको अधीनस्थ कार्यालयों के अधिकारियों की सहायता से कार्यान्वित करना।

(ख) भिन्न-2 वर्गों के शिक्षकों को आवश्यकता अनुसार उपलब्ध करने के लिए भिन्न-2 स्तर के अध्यापक प्रशिक्षण की सुविधाओं का प्रबन्ध करना।

(ग) विश्वविद्यालयों, अराजकीय विद्यालयों/महाविद्यालयों की पात्रता परखने के पश्चात् अनुदान की राशि स्वीकृत करना।

(घ) सुपात्र एवं योग्य विद्यार्थियों एवं अनूसूचित जातियों/पिछड़ वर्ग के छात्रों को छात्रवृतियां, वजीफों एवं फीसों की प्रतिपूर्ति करना।

(ङ) पाठ्य पुस्तकें तथा अभ्यास पुस्तिकाओं का उपलब्ध करना।

(च) अन्य कार्यक्रम.

(क) शिक्षा का विकास, योजनाओं का बनाना तथा उनको अधीनस्थ कार्यालयों

के अधिकारियों की सहायता से कार्यान्वित करना।

1. बजट

रिपोर्टाधीन अवधि में शिक्षा विभाग का कुल बजट (संशोधित अनुमान) 6603.71 लाख रुपये था जिसमें योजनेतर पर 5897.67 लाख रुपये और योजना स्तर पर 706.04 लाख रुपये था।

2. स्कूलों का खोलना और स्तर का बढ़ाना

इस अवधि में सरकार द्वारा 151 प्राथमिक स्कूलों के स्तर को बढ़ाकर माध्यमिक किया गया, 102 माध्यमिक स्कूलों को बढ़ाकर उच्च किया गया और चार नये प्राथमिक विद्यालय खोले गये।

3. छात्र संख्या

स्कूल शिक्षा के भिन्न-2 स्तरों पर शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों की कुल संख्या वष 1980-81 में 19.00 लाख थी। जिसमें से लड़के 13.10 लाख और लड़कियां 5.90 लाख थी। उनमें प्री-प्राईमरी/प्राईमरी स्तर पर पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या 12.46 लाख, माध्यमिक स्तर पर 4.77 लाख तथा उच्च/उच्चतर माध्यमिक स्तर पर 1.77 लाख रही। पिछले वर्षों की उपेक्षा रिपोर्टाधीन वर्ष में स्कूल के हर शिक्षा स्तर पर छात्र संख्या में वृद्धि हुई है। उच्च शिक्षा स्तर पर 83782 छात्रों ने राज्य के भिन्न-2 उच्च शिक्षा संस्थाओं में शिक्षा प्राप्त की। जिनमें से 22349 ने राजकीय महाविद्यालयों में 57407 अराजकीय महाविद्यालयों में 3919 ने विश्वविद्यालय के टीचिंग विभागों में शिक्षा प्राप्त की।

4. अध्यापक

शिक्षा के साथ-साथ भिन्न-2 संस्थाओं में शिक्षकों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। रिपोर्टाधीन अवधि में भिन्न-2 वर्गों के स्कूलो में 30-9-80 को 65548 अध्यापक थे। उच्च शिक्षा संस्थाओं में (महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों) शिक्षकों की संख्या 3708 थी।

5. प्राथमिक शिक्षा का विकास

राज्य में 6–11 आयु वर्ग के सभी बच्चों को शिक्षित करने के लिये विशेष पग उठाये गये। जिनमें प्राथमिक स्तरीय ड्राप-आऊटस के लिये रिपोर्टाधीन अवधि में

3074 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र क्रियाशील थे, जिनमें 72761 बच्चों को प्राथमिक स्तर की शिक्षा देकर साक्षर बनाया गया। प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ने वाली 40,000 हरिजन छात्राओं को 10 रुपये प्रति छात्रा प्रति मास के हिसाब से 48 लाख रुपये की उपस्थिति छात्रवृति दी गई। इसके अतिरिक्त 1000 प्राथमिक स्कूलों में 300 रुपये प्रति प्राथमिक स्कूल की दर से 3.00 लाख रुपये की राशि खेलकूद तथा मनोरंजन की सामग्री जुटाने हेतू और प्राथमिक स्कूलों के खेलों के मैदान के विकास के लिए प्रदान की गई।

6. **उच्च शिक्षा का विकास**

इस अवधि में राज्य में महाविद्यालयों की संख्या 118 थी जिनमें 20 शिक्षा महाविद्यालय और 98 महाविद्यालय सामान्य शिक्षा के थे। राज्य सरकार द्वारा चलाये जाने वाले महाविद्यालयों की संख्या 25 थी। रिपोर्टाधीन अवधि में सरकार ने 3 अराजकीय महाविद्यालयों को अपने अधीन लिया।

7. **भवनों की मुरम्मत/निर्माण**

रिपोर्टाधीन अवधि में सरकार ने आदमपुर (हिसार) में नया कालिज खोलने हेतू भवन निर्माणार्थ 1,34,88,000 रुपये की लागत के प्लान/अनुमान की स्वीकृति जारी की है।

रा0 प्रा0 पा0 जगाधरी तथा यमुनानगर के नये भवन निर्माण के लिये 23.19 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई। इसके अतिरिक्त रा0 क0 उच्च विद्यालय होडल के भवन निर्माण के लिये 5.63 लाख रुपये की राशि व्यय की गई। विभिन्न स्कूलों में 87 कमरों के निर्माण के लिये 42 लाख रुपये की राशि की स्वीकृति दी गई।

स्कूलों के भवनों की मुरम्मत के लिये वर्ष 1980-81 में 1.10 करोड़ रुपये की राशि के 200 अनुमानों की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई।

8. **प्रौढ़ शिक्षा**

रिपोर्टाधीन अवधि में राज्य में 3394 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र कार्यशील थे जिनमें से 1911 महिलाओं के थे। इन प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों में 76175 प्रौढ़ों ने शिक्षा प्राप्त की जिनमें 35364 पुरुष तथा 40811 महिलाये हैं।

(ख) भिन्न-भिन्न वर्ग के शिक्षकों को आवश्यकता अनुसार उपलब्ध करने के लिए भिन्न-भिन्न स्तर के अध्यापक प्रशिक्षण की सुविधायें उपलब्ध करना।

रिपोर्टाधीन अवधि में डिपलोमा-इन-एजूकेशन की कक्षाओं का दाखिला सरकार द्वारा पिछले वर्षों की भांति बन्द रहा क्योंकि प्राईमरी कक्षाओं को पढ़ाने के लिए पहले ही काफी अध्यापक बेरोजगार थे। हिन्दी तथा संस्कृत ओ. टी. की कक्षायें रा. प्रशिक्षण महाविद्यालय भिवानी तथा हिन्दी एवं पंजाबी ओ. टी. की कक्षायें राव वीरेन्द्र सिंह कालेज आफ एजुकेशन रिवाड़ी तथा पंजाबी ओ. टी. की कक्षायें रा. जे. बी. टी. स्कूल नारायणगढ़ में आरम्भ की गई। अध्यापकों की व्यवसायिक दक्षता को बढ़ाने के लिए तथा स्कूलों में शिक्षा के स्तर को उन्नत करने के लिए 4000 प्राथमिक अध्यापकों, 1200 माध्यमिक अध्यापकों को सेवा कालीन प्रशिक्षण दिया गया। इसके अतिरिक्त 50 शिक्षा अधिकारियों, 700 मुख्य अध्यापकों/मुख्यअध्यापिकाओं एवं प्रधानाचार्यों तथा 94 खण्ड शिक्षा अधिकारियों को भी प्रशिक्षण दिया गया।

ग. विश्वविद्यालयों, अराजकीय विद्यालयों/महाविद्यालयों को अनुदान

रिपोर्टाधीन अवधि में विश्वविद्यालयों, अराजकीय महाविद्यालयों तथा अराजकीय विद्यालयों में शिक्षा के कार्य को सुचारू रूप से चलाने तथा शिक्षा के विकास कार्यक्रमों के लिए निम्नलिखित अनुदान (विकास एवं संरक्षण अनुदान) दिये गए :—

कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरूक्षेत्र	214.30 लाख रुपये
महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक	285.98 लाख रुपये
अराजकीय महाविद्यालय	248.15 लाख रुपये
अराजकीय विद्यालय	144.11 लाख रुपये

इसके अतिरिक्त अराजकीय प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों तथा अराजकीय महाविद्यालयों को घाटे की 75 प्रतिशत राशि अनुदान के रूप में दी गई।

(घ) छात्रवृत्तियां

'रिपोर्टाधीन अवधि में विद्यालयों/महाविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों को छात्र-वृतियां भिन्न-भिन्न स्कीमों के अन्तर्गत दी गई :—

1. भारत सरकार राष्ट्रीय छात्रवृति योजना के अन्तर्गत महाविद्यालयों में पढ़ने वाले 1120 योग्य छात्रों को 10.20 लाख रुपये की राशि की छात्रवृतियां दी गई।

2. 750 योग्य हरियाणवीं छात्रों को मट्रिक उपरान्त संस्थाओं में पढ़ने वालों के लिए 4.29 लाख रुपये की राशि की छात्रवतियां राज्य सरकार द्वारा दी गई।

3. सैनिक स्कूलों में पढ़ने वाले 603 हरियाणवीं छात्रों को 23.31 लाख रुपये की राशि प्रदान की गई।

4. भारत सरकार की राष्ट्रीय ऋण छात्रवृति योजना के अन्तर्गत 258 छात्रों को 1.90 लाख रुपये की राशि प्रदान की गई।

5. उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में पढ़ने वाले 1518 छात्रों को 15/— रुपये मासिक दर से माध्यमिक कक्षाओं में पढ़ने वाले 2014 छात्रों को 10/— रुपये मासिक दर से योग्यता छात्रवृतियां देने की व्यवस्था की गई।

6. उपरोक्त छात्रवृतियों के अतिरिक्त राज्य हरिजन कल्याण योजना अन्तर्गत स्कूल स्तर पर अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्ग के बच्चों को नौवीं, दसवीं तथा ग्याहरवीं कक्षाओं में 16/— रुपये प्रति मास की दर से वजीफे/छात्रवृतियां प्रदान की गई। महाविद्यालय स्तर इन छात्रों को भिन्न-भिन्न कोर्सों/कक्षाओं में 30/— रुपये तथा 70/— रुपये मासिक दर से छात्रवृतियां तथा वजीफे दिये गए। इन वजीफों के लिए 71.68 लाख रुपये की व्यवस्था की गई। मैट्रिक उपरान्त कक्षाओं में अनुसूचित जातियों के छात्रों को भिन्न-भिन्न कक्षाओं/कोर्सों के लिए 40/— रुपये की दर से 200/— रुपये की दर तक प्रति मास वजीफे इत्यादि भी दिये गए। यह वजीफे/छात्रवतियां विद्यार्थियों को उनके संरक्षकों की आय के आधार पर दी जाती हैं। रिपोर्टाधीन अवधि में 41.45 लाख रुपये की व्यवस्था की गई। अस्वच्छ व्यवसाय में लगे गैर अनुसूचित जातियों के प्रत्येक छात्र को मैट्रिक उपरान्त छात्रवृति दी गई। तेलगू भाषा पढ़ने वाले छात्रों को प्रोत्साहन देने हेतु 10/— रुपये प्रति मास की दर से छात्रवृतियां प्रदान की गई।

(ङ) पाठ्यक्रम पुस्तकों तथा अभ्यास पुस्तिकाओं का उपलब्ध करना

पिछले वर्षों की भांति रिपोर्टाधीन अवधि में विद्यालयों को पाठ्यक्रम पुस्तकें तथा अभ्यास पुस्तिकाओं को उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने हेतु विशेष पग उठाये गए। वर्ष 1980—81 में अनुसूचित जातियों तथा वंचित वर्ग के विद्यार्थियों को ऋण के आधार पर पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने हेतु सरकार ने 20.50 लाख रु. की राशि की लघु पुस्तकें स्थापित बुक बैंक्स को सुदृढ़ करने के लिए खरीदी गई तथा 11.70 लाख रुपये के मुल्य की लेखन सामग्री पहली से ग्याहरवीं तक के अनुसूचित जाति तथा पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों तथा सभी वर्गों की लड़कियों को निशुःल्क वितरित की गईं।

(च) 10+2+3 शिक्षा पद्धति

शिक्षा का यह नया शैक्षणिक ढांचा हरियाणा राज्य में अभी लागू नहीं किया गया है। यह ढांचा अभी सरकार के विचाराधीन है। इस ढांचे को लागू करने के लिए माध्यमिक, उच्च/उच्चतर माध्यमिक स्कूलों की प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ करने हेतु वर्ष 1977–78 से 60.30 लाख रुपये की राशि की स्वीकृति चली आ रही है। इस नई पद्धति के लिए सभी जिलों का व्यवसायिक सर्वेक्षण किया गया है। यह सर्वेक्षण कार्य सभी जिलों का पूर्ण हो चुका है तथा इसकी रिपोर्ट एस. सी. ई. आर. टी. गुडगांव में तैयार की जा रही है। वैसे 21 जून 1981 को नई दिल्ली में राज्य तथा केन्द्रीय प्रशासित क्षेत्रों के शिक्षा मन्त्रियों की बैठक में हरियाणा राज्य ने इस नई पद्धति को1982 से लागू करने का निर्णय लिया है तथा पद्धति को लागू करने के लिए पग उठाने आरम्भ कर दिये हैं :

(छ) अन्य कार्यक्रम

1. केयर फिडिंग प्रोग्राम :—मध्याह्न भोजन का लाभ रिपोर्टाधीन अवधि में 4.23 लाख बच्चों को उपलब्ध कराया गया। इस कार्यक्रम पर शिक्षा विभाग ने 40.35 लाख रुपये की राशि खर्च की। घरोन्डा में स्थापित केन्द्रीय किचन द्वारा एक लाख बच्चों के लिए प्रति दिन पंजीरी तैयार करके स्कूलों में बांटने के लिए भेजी गई। इस किचन के खर्च के लिए सरकार द्वारा 13.76 लाख रुपये की राशि प्राप्त हुई।

2. खेल कूद एवं कार्यात्मक कार्यों में उपलब्धियां

अन्तर्राज्कीय शीतकालीन प्रतियोगिताओं में राज्य के छात्र/छात्राओं ने 4 स्वर्ण पदक, 5 रजत पदक तथा 4 कांस्य पदक प्राप्त किये। इसके अतिरिक्त मिनी नेशनल गेम्ज में भी इस राज्य के छात्रों द्वारा 2 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक तथा 1 कांस्य पदक प्राप्त किया।

3. अध्यापक कल्याण प्रतिष्ठान कोष

रिपोर्टाधीन अवधि में विपदाग्रस्त अध्यापकों तथा उनके आश्रितों को भिन्न-भिन्न प्रकार की सहायता के रूप में इस कोष से 2.02 लाख रुपये की राशि वितरित की गई।

4. एन. एस. एस. स्कीम के अन्तर्गत ग्रामीण जनता के उत्थान हेतु 102 शिविर लगाए गए जिनमें 7000 छात्रों ने भाग लिया।

5. हरिजन छात्रों के लिए विशेष सुविधा

26233 हरिजन छात्राओं को 30/– रुपये प्रति छात्रा की दर से मुफ्त वर्दियां देने के लिए 7.87 लाख रुपये की राशि प्रदान की गई।

6. कक्षा शिक्षा नीति तथा परीक्षा प्रणाली में सुधार

सामान्यता ऐसा होता है कि कक्षा में कुछ विद्यार्थी पढ़ाई में तीव्र होते हैं तथा कुछ मध्य होते हैं। अतः विभाग ने यह अनुमति दी है कि यदि कक्षा में छात्रों की संख्या अधिक हो तो अलग–अलग सैक्शन बना लें तथा उन सैक्शनों को इस तरह बनाऐं कि तीव्र बद्धि के बच्चे एक सक्शन में आ जाऐं तथा मध्य बुद्धि के बच्चे दूसरे सैक्शन में आ जाऐं और जिस शिक्षक के पास मंद बुद्धि वाले बच्चे हों उसके परिणाम को देखते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि वह कमजोर सैक्शन पढ़ा रहा था।

पहली से चौथी कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों के लिए यह परीक्षा निति अपनाई है कि पहली तथा दूसरी कक्षा में कोई बच्चा फेल न किया जाए तथा तीसरी तथा चौथी की कक्षायों में परीक्षा के परिणाम अनुसार कार्यवाही की जाए।

रिपोर्टाधीन अवधि में शिक्षा विभाग श्री मती शांति राठी मुख्य संसदीय सचिव , के पास रहा। शिक्षा युक्त एवं सचिव के पद पर श्री जे. डी. गुप्ता आई. ए. एस. ने कार्य किया; संयुक्त सचिव के पद पर श्री मती सुशील डोगरा ने कार्य किया। निदेशक के पद पर श्रीमती प्रोमीला ईसर आई. ए. एस. महोदया ने कार्य किया तथा निदेशक स्कूल शिक्षा के पद पर श्री नसीम अहमद ने कार्य किया। 13-1-81 से निदेशक के पद पर श्री एल. एम. जैन, आई. ए. एस, ने कार्य किया तथा निदेशक स्कूल शिक्षा के पद पर श्री एस. पी. मित्तल आई. ए. एस. ने 1-1-81 से कार्य किया।

प्रशासनिक रिपोर्ट वर्ष 1980-81 पर समालोचना

राज्य के शिक्षा क्षेत्र में संतोषजनक प्रगति हुई है। प्राईमरी, मिडल तथा उच्च/उच्चतर स्तर पर छात्रों की संख्या में उत्साहजनक वृद्धि हुई है। शिक्षा सुविधाओं में और विस्तार करने के लिए 4 नए राजकीय प्राथमिक विद्यालय खोले गए, 151 प्राथमिक स्कूलों के स्तर को बढ़ा कर माध्यमिक तथा 102 माध्यमिक स्कूलों के स्तर को बढ़ा कर उच्च किया गया है। अध्यापकों की व्यवसायिक दक्षता बढ़ाने तथा स्कूलों में शिक्षा के स्तर को उन्नत करने के लिए 4000 प्राथमिक कक्षाओं के अध्यापकों और 1200 माध्यमिक अध्यापकों को भिन्न-भिन्न विषयों में सेवाकालीन प्रशिक्षण दिया गया। मध्याह्न भोजन का लाभ 4.23 लाख बच्चों को उपलब्ध किया गया।

2. स्कूलों के भवनों की मुरम्मत के लिए 1.10 करोड़ रुपए की राशि के 200 अनुमानों की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई। अराजकीय प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों तथा अराजकीय महाविद्यालयों को घाटे की 75% राशि जोकि 257.52 लाख रुपए अनुदान के रूप में दी गई।

3. रिपोर्टाधीन अवधि में राज्य में महाविद्लयों की संख्या 118 (98 सामान्य शिक्षा व 20 प्रशिक्षण) थी। इस अवधि में तीन महाविद्यालयों को सरकार द्वारा अपने नियन्त्रण में लिया गया है। राजकीय महाविद्यालयों के कार्यभार के आधार पर सरकार ने 30 प्राध्यापकों के अतिरिक्त पद सृजन किए गए। विश्वविद्यालयों को दिन प्रतिदिन के खर्चे हेतु तथा विकास कार्यों के लिए 500.28 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई।

4. प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में भी संतोषजनक प्रगति हुई। इस वर्ष 92 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों की वृद्धि हुई है, इस प्रकार वर्ष 1980-81 में 3394 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र कार्य कर रहे थे जिन में से 1911 केन्द्र महिलाओं के लिए थे। इन केन्द्रों में 76175 प्रौढ़ों ने शिक्षा प्राप्त की, जिनमें से 35364 पुरुष तथा 40811 महिलाए थीं।

5. खेलों के क्षेत्र में भी अन्तर राजकीय प्रतियोगिताओं में राज्य के छात्र/छात्राओं द्वारा भिन्न-भिन्न प्रतियोगिताओं में स्वर्ण 6, रजत 7 तथा कांस्य 5 पदक प्राप्त किए।

"सामान्य सार"

1.1 प्रस्तुत शिक्षा विभाग की प्रशासकीय रिपोर्ट वर्ष 1980—81 की शिक्षा की गतिविधियों से सम्बन्धित है।

1.2 सितम्बर 1980 में हरियाणा में स्थित भिन्न-भिन्न प्रकार की शिक्षा संस्थाओं में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या निम्न प्रकार रही :—

संस्था का प्रकार	संस्था की संख्या	छात्रों की संख्या		
		लड़के	लड़कियां	जोड़
पूर्व प्राथमिक पाठशालायें/ बाल वाडिज	27	684	505	1189
प्राथमिक पाठशालायें	4934	387491	209352	596843
माध्यमिक पाठशालायें	881	205067	90960	296027
उच्च/उच्चतर माध्यमिक पाठशालायें।	1473	718831	291405	1010236
शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय	1	97	10	108
महाविद्यालय	118	54794	24962	79756
विश्वविद्यालय	2	2898	1021	3919

स्तर अनुसार छात्र संख्या

1.3 राज्य में सितम्बर 1980 में शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या इस प्रकार रही थी।

शिक्षा का स्तर	छात्रों की संख्या		
स्कूल स्तर	लड़के	लड़कियां	जोड़
प्राथमिक स्तर (पहली से पांचवीं)	822640	422847	1245487
माध्यमिक स्तर (छठी से आठवीं)	351514	125778	477292
उच्च/उच्चतर माध्यमिक स्तर (नौवीं से ग्याहरवीं)	135398	41443	176841
कुल संख्या	1309552	590068	1899620
उच्च शिक्षा स्तर	लड़के	लड़कियां	जोड़
प्री-युनिवर्सिटी	21274	6503	27777
तीन वर्षीय डीग्री कोर्स	30964	14449	45413
एम. ए. /एम. एस. सी. /एम. काम	2237	1493	3730
वी. एड. / एम. एड.	1040	2326	3366
पी. एच. डी./एम. फिल.	273	138	411
अन्य	1904	1074	2978
जोड़	57692	25983	83675

शिक्षकों की संख्या

1.4 हरियाणा राज्य में कार्य करने वाले शिक्षकों की कुल संख्या स्कूल अनुसार इस प्रकार रही ।

(क) स्कूल स्तर	पुरुष	महिला	जोड़
प्री-प्राईमरी स्कूल	2	34	36
प्राथमिक स्कूल	10493	4587	15080
माध्यमिक स्कूल	5882	2851	8733
उच्च/उच्चतर माध्यमिक स्कूल	21889	9810	31699
जोड़	38266	17282	55548

इन अध्यापकों में से 5068 अध्यापक अराजकीय विद्यालयों में कार्य करते हैं ।

(ख) उच्च शिक्षा स्तर	पुरुष	महिला	जोड़
राजकीय महाविद्यालय	895	298	1193
अराजकीय महाविद्यालय	1516	632	2148
शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय	11	2	13
विश्वविद्यालय	314	40	354
जोड़	2736	972	3708

1.5 शिक्षा विभाग का वर्ष 1980-81 का बजट (संशोधित अनुमान) अनुसार इस प्रकार था ।

(क) प्रत्यक्ष व्यय

मद	योजनेतर	योजना	कुल
उच्च शिक्षा (कालेज शिक्षा)	751.10	260.89	1011.99
माध्यमिक शिक्षा	2524.02	198.13	2722.15
प्राथमिक शिक्षा	2293.41	157.16	2450.57
विशेष शिक्षा (स्पैशल)	24.90	46.52	71.42
एन. सी. सी.	63.60	32.25	95.85
विविध	45.18	3.92	49.10
जोड़	5702.21	698.87	6401.08
(ख) परोक्ष व्यय			
1. निर्देशन	54.40	3.12	57.52
2. इंसपैक्शन	141.06	4.05	145.11
जोड़	195.46	7.17	202.63
जोड़ प्रत्यक्ष तथा परोक्ष व्यय	5897.67	706.04	6603.71

महाविद्यालय शिक्षा

1.6 इस वर्ष कोई नया राजकीय महाविद्यालय नहीं खोला गया। परन्तु सरकार द्वारा तीन अराजकीय महाविद्यालय को अपने नियन्त्रण में लिया गया।

जिला स्तर पर प्रशासन

1.7 राज्य के सभी 12 जिलों में शिक्षा अधिकारी नियुक्त हैं जो अपने

अपने जिले में शिक्षा के विकास तथा राज्य शिक्षा सम्बन्धी नितियों को कार्यान्वित करते हैं।

भाषाई अल्प संख्यकों को सुविधायें

1.8 हरियाणा राज्य में भाषाई अल्प संख्यकों को, राज्य सरकार द्वारा, अपनी भाषा को अतिरिक्त विषय के रूप में पढ़ने की सुविधा जारी रखी गई है। यदि किसी कक्षा में कम से कम 10 बच्चे या स्कूल में 40 से अधिक बच्चे अपनी भाषा पढ़ने की इच्छा रखते हों तो उनको उस भाषा को पढ़ाने का प्रबन्ध किया जाता है।

नए स्कूलों का खोलना तथा स्कूलों का स्तर बढ़ाना।

1.9 इस अवधि में चार नये राजकीय प्राथमिक विद्यालय खोले गए। इसके अतिरिक्त 151 प्राथमिक स्कूलों के स्तर को बढ़ाकर माध्यमिक किया गया तथा 102 माध्यमिक स्कूलों के स्तर को बढ़ाकर उच्च किया गया।

छात्र कल्याण कार्यक्रम

1.10 गत वर्ष की भांति इस वर्ष में भी छात्रवासों में रहने वाले विद्यार्थियो को नियंत्रित मूल्यों पर आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं को उपलब्ध करवाया गया। विद्यार्थियों को नियंत्रित मूल्यों पर उपभोक्ता वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए राज्य के महाविद्यालय, विद्यालयो एवं विश्वविद्यालयों के सभी छात्रावासों को निकट सहकारी उपभोक्ता स्टोरों से सम्बन्ध रखा गया ताकि उनकों विना कठिनाई सभी वस्तुएं उपलब्ध होती रहें।

छात्रों को पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध करना

1.11 वर्ष 1980—81 में अनुसूचित जातियों तथा वंचित वर्ग के विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तके उपलब्ध करने हेतु 6949 बुक-बैंकों को सुदृढ़ करने के लिए 20.50 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई। इसके अतिरिक्त 11.70 लाख रुपये के मूल्य की लेखन सामग्री पहली से ग्याहरवीं तक के अनुसूचित जाति तथा पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों तथा सभी वर्गों की लड़कियों को निःशुल्क वितरित की गई।

हरिजन छात्राओं को विशेष सुविधाएं

1.12 (क) पहली से पांचवीं तक की 26233 छात्राओं को 30/- रुपये प्रति छात्रा की दर से मुफ्त वर्दियां देने के लिए 7.87 लाख रुपये की राशि प्रदान की गई ।

(ख) पहली से पांचवीं कक्षा तक की 40,000 छात्राओं के लिए 120/- रु. प्रति छात्रा की दर से उपस्थिति छात्रवृति के लिए 48.00 लाख रुपये की राशि प्रदान की गई ।

(ग) नौवीं, दसवीं तथा ग्याहरवीं कक्षाओं की 150 छात्राओं को क्रमशः 20/- 25/- रु. तथा 30/- रुपये प्रति मास की दर से योग्यता छात्रवृति दी गई ।

अध्याय 2

शिक्षा विभाग का प्रशासन एवं संगठन

2.1 वर्ष 1980—81 में शिक्षा विभाग श्रीमती शांति राठी मुख्य संसदीय सचिव के पास रहा।

'क' सचिवालय स्तर पर

शिक्षायुक्त एवं सचिव के पद पर श्री जे. डी. गुप्ता ने कार्य किया। संयुक्त सचिव के पद पर श्रीमती सुशील डोगरा ने कार्य किया। उपरोक्त सभी अधिकारी आई. ए.एस. केडर के हैं। अवर सचिव के पद पर श्री के. जी. वालिया एच. एस. एस. ने कार्य किया।

'ख' निदेशालय स्तर

रिपोर्टाधीन वर्ष में निदेशक शिक्षा के पद पर श्रीमती प्रोमीला ईसर आई. ए.एस. ने कार्य किया तथा वर्ष के अन्त में 13.1.81 से श्री एल. एम. जैन. आई. ए.एस. ने कार्य किया। पिछले वर्षों से शिक्षा में विशेष विकास हुआ जिसके कारण हर स्तर पर शिक्षा प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए निदेशालय के स्कूल तथा कालिज शिक्षा के कार्य को वर्ष में 1979–80 में फेजड प्रोग्राम में अलग-2 करने का निर्णय लिया गया जिके अनुसार अतिरिक्त निदेशक के पद को निदेशक (स्कूल) का पद बना दिया गया था तथा इस पर रिपोर्टाधीन अवधि में श्री नसीम अहमद आई. ए. एस. ने कार्य किया तथा वर्ष के अंत में 1.1.81 से श्री एस. पी. मित्तल, आई. ए. एस. ने कार्य किया। इसी प्रकार निदेशालय स्तर पर निम्नलिखित पदों पर अन्य नियुक्त अधिकारियों ने कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए निदेशक शिक्षा विभाग तथा निदेशक स्कूल शिक्षा को सहयोग दिया।

1.	संयुक्त निदेशक स्कूल	एच. सी. एस.
2.	निदेशक रिसोर्स केन्द्र	एच. ई. एस.
3.	संयुक्त निदेशक प्रौढ़ शिक्षा	–सम–

4.	संयुक्त निदेशक महाविद्यालय	—सम—
5.	उप निदेशक महाविद्यालय	—सम-
6.	उप निदेशक स्कूल-I	—सम—
7.	उप निदेशक स्कूल-II	—सम—
8.	उप निदेशक स्कूल-III	—सम—
9.	उप निदेशक योजना	—सम—
10.	उप निदेशक प्रौढ़ शिक्षा	—सम—
11.	अध्यक्ष अनौपचारिक एवं प्रौढ़ शिक्षा	एच. ई. एस.
12.	प्रशासन अधिकारी	एच. एस. एस.
13.	सहायक निदेशक महाविद्यालय	एच. ई. एस.
14.	सहायक निदेशक विद्यालय-I	—सम—
15.	सहायक निदेशक विद्यालय-II	—सम—
16.	सहायक निदेशक विद्यालय-III	—सम—
17.	सहायक निदेशक अध्यापक प्रशिक्षण	—सम—
38.	—सम— परीक्षा	—सम—
19.	—सम— एन. सी. सी.	—सम—
20.	—सम— आंकड़ा	—सम—
21.	अनुसंधान अधिकारी-I	—सम—
22.	अनुसंधान अधिकारी-II	—सम—
23.	अनुसंधान अधिकारी-III	—सम—

24. अनुसंधान अधिकारी-I —सम—

25. सहायक निदेशक प्रौढ़ शिक्षा-I

26. सहायक निदेशक प्रौढ़ शिक्षा-II

27. लेखा अधिकारी विद्यालय

28. लेखा अधिकारी महाविद्यालय

29. रजिस्ट्रार शिक्षा

30. बजट अधिकारी

ज़िला प्रशासन

2.2. राज्य के प्रत्येक जिले में स्कूल शिक्षा का विकास प्रशासन और नियन्त्रण का उत्तरदायित्व जिला शिक्षा अधिकारी पर है। जिला शिक्षा अधिकारी अपने जिले में शिक्षा के विकास तथा राज्य की शिक्षा नीतियों को कार्य रूप देते हैं। जिले में शिक्षा के विकास कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी उपमण्डलों में उपमण्डल शिक्षा अधिकारी हैं। उपमण्डल शिक्षा अधिकारी अपने उपमण्डलों में शिक्षा के विकास के लिए जिला शिक्षा अधिकारियों के प्रति उत्तरदायी हैं।

माध्यमिक स्तर पर पढ़ने वाले विद्यार्थियों को उनकी रूचियों के अनुसार भविष्य में व्यवसाय परामर्शदाता की नियुक्ति की हुई है। यह अधिकारी विद्यालयों में जाकर विद्यार्थियों को भिन्न-2 व्यवसायों के बारे में मार्गदर्शन देने का कार्य करते हैं ताकि स्कूल शिक्षा समाप्त करने के पश्चात् विद्यार्थी अपनी रूचि के अनुसार व्यवसाय का चुनाव कर सकें। विद्यार्थियों को भिन्न-भिन्न व्यवसायों से संबंधित प्रशिक्षण की उपलब्ध सुविधाओं के बारे में भी ज्ञान दिया जाता है।

इसी तरह राज्य के प्रत्येक जिले में प्रौढ़ शिक्षा के विकास, प्रशासन और नियन्त्रण के लिए जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी नियुक्त हैं।

दिनांक 31-3-80 की स्थिति अनुसार निदेशालय तथा जिला स्तर पर कार्य करने वाले अधिकारियों का ब्यौरा परिशिष्ट "क" तथा "ख" में दिया गया है। श्रेणी प्रथम तथा द्वितीय के कुल पदों की सूचि परिशिष्ट "ग" में दी गई है।

खण्ड स्तर पर

2.3. राज्य में स्थित सभी 4934 प्राथमिक विद्यालयों के निरीक्षण तथा प्रशासन सुविधा के लिए 117 शिक्षा खण्डों में बांटा गया है। खण्ड शिक्षा अधिकारी अपने-2 खण्ड में स्थित प्राथमिक शिक्षा के विकास तथा प्राथमिक विद्यालयों को सुचारू रूप से चलाने के लिए उत्तरदायी हैं।

राजकीय विद्यालय

2.4. सभी राजकीय उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों का प्रशासनिक प्रबन्ध मुख्याध्यापकों तथा प्रधानाचार्यों के माध्यम से चलाया जाता है। सभी मुख्याध्यापक तथा प्रधानाचार्य अपने-2 विद्यालयों में विद्यार्थियों को सुचारू रूप से शिक्षा देने में तथा उनके शैक्षणिक मानसिक और शारीरिक विकास के लिए जिला शिक्षा अधिकारी तथा विभाग के प्रति उत्तरदायी हैं।

अराजकीय विद्यालय

2.5. अराजकीय विद्यालयों का प्रशासन उनकी अपनी प्रबन्ध समितियों द्वारा चलाया जाता है। शिक्षा विभाग की नीति के अनुसार ही इन विद्यालयों में शिक्षा दी जाती है यह विद्यालय शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त करते हैं। शिक्षा विभाग इनको सुचारू रूप से चलाने के लिए वार्षिक अनुदान देता है। इन विद्यालयों का निरीक्षण भी शिक्षा विभाग के अधिकारी करते हैं।

विश्वविद्यालय/महाविद्यालय

2.6. राजकीय महाविद्यालयों के प्राचार्य प्रत्यक्ष रूप में सुचारू प्रशासन तथा उच्च शिक्षा के विकास के लिए निदेशक शिक्षा के प्रति उत्तरदायी हैं परन्तु गैर सरकारी महाविद्यालयों का प्रशासन उनकी अपनी प्रबन्ध समितियां ही चलाती हैं। राज्य में स्थित सभी महाविद्यालय संबंधित विश्वविद्यालयों की शिक्षा नीति को अपनाते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अतिरिक्त राज्य सरकार भी इनको वित्तीय सहायता "साधारण तथा विकास अनुदान" के रूप में प्रत्येक वर्ष देती है।

अध्याय 3

विद्यालय शिक्षा

3.1. देश में आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक उन्नति लाने में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए हरियाणा राज्य में विद्यालय शिक्षा के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है।

3.2. इस समय हरियाणा में सभी राजकीय विद्यालयों में पहली से आठवीं तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। 6 से 11 वर्ष की आयु के अधिक से अधिक बच्चों को स्कूलों में लाने के लिए प्रति वर्ष अप्रैल मास में छात्र संख्या अभियान चलाया जाता है। वर्ष 1980-81 में इस के प्रचार/प्रसार पर 1.39 लाख रुपये खर्च किये। लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष 1980-81 में प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ने वाली 26,233 हरिजन छात्राओं को 30 रुपये प्रति छात्रा की दर से 7.87 लाख रुपये की राशि की मुफ्त वर्दियां प्रदान की गई तथा प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ने वाली 40,000 हरिजन छात्राओं को 10 रुपये प्रति छात्रा प्रति मास के हिसाब से 48 लाख रुपये की उपस्थिति छात्रवृति दी गई।

शिक्षा सुविधाओं का विस्तार

3.3. रिपोर्टाधीन वर्ष में शिक्षा सुविधाओं में उल्लेखनीय विस्तार हुआ है। वर्ष 1980-81 में 151 प्राथमिक स्कूलों के स्तर को बढ़ाकर माध्यमिक किया गया तथा 102 माध्यमिक स्कूलों का स्तर बढ़ाकर उच्च किया गया। इसके अतिरिक्त रिपोर्टाधीन अवधि में 4 नये प्राथमिक स्कूल खोले गये।

दिनांक 30-9-80 को हरियाणा में सरकारी तथा गैर सरकारी विद्यालयों

की संख्या निम्न प्रकार थी :—

क्रम संख्या		सरकारी	गैर सरकारी	जोड़
1.	पूर्व प्राथमिक विद्यालय/बाल-वाडिज	27	—	27
2.	प्राथमिक विद्यालय	4869	65	4934
3.	माध्यमिक विद्यालय	848	33	881
4.	उच्च/उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	1226	247	1473

प्राईवेट स्कूलों को मान्यता प्रदान करना

3.4. रिपोर्टाधीन अवधि में निम्नलिखित स्कूलों को स्थाई मान्यता प्रदान की गई :—

1. दयानन्द पब्लिक हाई स्कूल 5 ई/45 फरीदाबाद ।
2. राजा राम क0 उ0 वि0 मण्डी डबवाली सिरसा ।
3. दयानन्द पब्लिक हाई स्कूल ई/64 फरीदाबाद ।
4. बाल भारती विद्यालय बहादुरगढ़ ।
5. आर्य उ0 वि0 पटेलनगर, हिसार ।

इसके अतिरिक्त डी0 ए0 वी0 हाई स्कूल उदयपुर (अम्बाला) तथा एस0 ए0 जन माडल स्कूल (अम्बाला) को अस्थाई मान्यता प्रदान की गई ।

बालवाड़ियों की स्थापना

3.5. समाज के पिछड़े एवं औद्योगिक क्षेत्र में कार्य कर रहे श्रमिकों के लिए 3 से 6 वर्ष के बच्चों की देख रेख एवं उनके लिए शिक्षा सुविधायें उपलब्ध करने के लिए राज्य में 20 बालवाड़िया चल रही हैं। इन बालवाड़ियों के अतिरिक्त राज्य में कुछ अराजकीय प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के साथ नर्सरी तथा प्री-प्राईमरी श्रेणियां भी संलग्न हैं। इन श्रेणियों में भी 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा सुविधायें उपलब्ध हैं।

छात्र संख्या

3.6 वर्ष 1980-81 में स्कूलों में भिन्न-2 स्तरों पर पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या इस प्रकार रही :—

शिक्षा का स्तर	लड़के	लड़कियां	जोड़
प्राथमिक स्तर	822640	422847	1245487
माध्यमिक स्तर	351514	125778	477292
उच्च।उच्चतर माध्यमिक स्तर	135398	41443	176841

अध्यापक

3.7. वर्ष 1980-81 में जिन स्कूलों का स्तर बढ़ाया गया उनके लिए निम्नलिखित अमला भी स्वीकृत किया गया :—

मुख्याध्यापक	102
मास्टर/मिस्ट्रैसिज	355
पी0 टी0 आई0	102
सी0 एण्ड वी0	151
जे0 बी0 टी0	151
लिपिक वर्ग	102
चतुर्थ श्रेणी	355

वर्ष 1980-81 में संस्कृत अध्यापकों के 250 पद स्वीकृत करवाये गये थे ताकि उच्चतर शिक्षा को कथित विषय में प्रोत्साहन दिया जा सकें। वर्ष 1980-81 में

हरियाणा राज्य के भिन्न-2 स्तरों पर शिक्षकों की संख्या इस प्रकार चल रही है :—

शिक्षा का स्तर	पुरुष	महिलायें	जोड़
प्री-प्राईमरी स्कूल	2	34	36
प्राथमिक स्कूल	10493	4587	15080
माध्यमिक स्कूल	5882	2851	8733
उच्च/उच्चतर माध्यमिक स्कूल	21889	9810	31699
कुल जोड़	38266	17282	55548

हरियाणा राज्य में अधिकतर अध्यापक प्रशिक्षित हैं। राज्य में केवल 228 अध्यापक ऐसे हैं जो प्रशिक्षित नहीं हैं। उपरोक्त अध्यापकों में से 50480 अध्यापक राजकीय विद्यालयों में और 5068 अध्यापक अराजकीय विद्यालयों में कार्य कर रहे हैं।

अध्यापक छात्र अनुपात

3.8. रिपोर्टाधीन अवधि में स्कूल शिक्षा के भिन्न-2 स्तरों पर तथा भिन्न-2 वर्गों के स्कूलों में अध्यापक छात्र अनुपात इस प्रकार रहा :—

स्तर अनुसार			स्कूल अनुसार		
प्राथमिक स्तर	(1–5)	1 : 41	प्राथमिक स्कूल	(1–5)	1:40
माध्यमिक स्तर	(6–8)	1 : 32	माध्यमिक स्कूल	(1–8)	1 : 34
उच्च/उच्चतर माध्यमिक स्तर	(9–11)	1 : 16	उच्च/उच्चतर माध्यमिक स्कूल	(1–11)	1:32

दोहरी पारी प्रणाली

3.9. भिन्न-2 विद्यालयों के भवनों में छात्र संख्या की वृद्धि के कारण बच्चों

के बैठने के लिए स्थान और कमरों की कमी हो जाती है, उन विद्यालयों में दोहरी पारी प्रणाली अपनाने की स्वीकृति देने में जिला शिक्षा अधिकारी स्वयं सक्षम है।]

सह शिक्षा की निति

3.10. ऐसे क्षेत्र तथा गांव जिनमें लड़कियों के लिए माध्यमिक तथा उच्च विद्यालय नहीं है वहां लड़कों के विद्यालयों में ही लड़कियों को प्रवेश प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध की गई है। 4934 प्राथमिक विद्यालयों में से 223 विद्यालय केवल कन्याओं के लिए हैं शेष सभी विद्यालयों में सह शिक्षा है।

तेलगू भाषा की शिक्षा

3.11. हरियाणा में सातवीं कक्षा से तेलगू भाषा की शिक्षा तीसरी भाषा के रूप में दी जाती है। इस भाषा की शिक्षा की सुविधा राज्य के 52 विद्यालयों में है।

भाषा नीति तथा भाषाई अल्पसंख्यक

3.12 हरियाणा एक भाषाई राज्य है और इसकी भाषा हिन्दी है। यह भाषा पहली श्रेणी से ही सभी विद्यार्थी अनिवार्य रूप में पढ़ते हैं। उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर पर भी हिन्दी शिक्षा का माध्यम है।

विद्यालयों में अंग्रेजी भाषा दूसरी भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है। यह छटी कक्षा से आरम्भ की जाती है। तीसरी भाषा में पंजाबी, संस्कृत तथा उर्दू के अतिरिक्त तेलगू भाषा की शिक्षा की सुविधा भी 52 विद्यालयों में उपलब्ध है। सातवीं और आठवीं श्रेणियों में पंजाबी, उर्दू, संस्कृत तथा तेलगू भाषाओं में से विद्यार्थी किसी एक भाषा का अध्ययन तीसरी भाषा के रूप में कर सकते हैं।

हरियाणा में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए उन्हें अपनी भाषा के अध्ययन करने की भी विशेष सुविधा उपलब्ध है। यदि किसी प्राथमिक या माध्यमिक विद्यालय की किसी कक्षा में 10 या स्कूल में 40 से अधिक विद्यार्थी हों जो अल्प संख्या से सम्बन्ध रखते हों तो वह अपनी भाषा को राज्य भाषा के अतिरिक्त एक विशेष भाषा के रूप में पढ़ सकते हैं। ऐसे विद्यार्थियों के लिए सरकार उनको इस विषय में शिक्षा देने के लिए सुविधा प्रदान करती है। 19 अराजकीय विद्यालयों को, जिनमें हरियाणा बनने के

समय शिक्षा का माध्यम पंजाबी था, पंजाबी माध्यम को आगे भी जारी रखने के लिए विशेष अनुमति दे रखी है ।

भाषा अल्पसंख्यकों को विशेष सुविधा प्रदान करने तथा सरकार को इस सम्बन्ध में सलाह देने हेतु एक उच्च स्तरीय अल्प भाषाई शिक्षा समिति का गठन भी किया हुआ है ।

शिक्षा पद्धति 10+2+3 को लागू करना

3.13 शिक्षा का यह नया शैक्षणिक ढ़ांचा हरियाणा राज्य में अभी लागू नहीं किया गया है । यह ढ़ांचा अभी सरकार के विचाराधीन है । इस ढ़ांचे को लागू करने के लिए माध्यमिक, उच्च/उच्चतर माध्यमिक स्कूलों की प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ करने हेतु वर्ष 1977–78 से 60.30 लाख रुपये की राशि की स्वीकृति चली आ रही है । इस नई पद्धति के लिए सभी जिलों का व्यवसायिक सर्वेक्षण किया गया है । यह सर्वेक्षण कार्य सभी जिलों का पूर्ण हो चुका है तथा इसकी रिपोर्ट एस. सी. ई. आर. टी. में तैयार की जा रही है ।

वैसे 21 जून, 1981 को नई देहली में राज्यों तथा केन्द्रीय प्रशासित क्षेत्रों के शिक्षा मंत्रियों की बैठक में हरियाणा राज्य ने इस नई पद्धति को 1982 से लागू करने का निर्णय लिया है तथा पद्धति को लागू करने के लिए पग उठाने आरम्भ कर दिये हैं ।

परीक्षा परिणाम

3.14 आठवीं, दसवीं तथा उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं की परीक्षाओं के लिए राज्य सरकार ने स्कूल शिक्षा बोर्ड की स्थापना की हुई है । वर्ष 1980—81 में आठवीं कक्षा में 138604 विद्यार्थी परीक्षा में बैठे, जिनमें से 56.43 प्रतिशत पास घोषित हुए तथा 19153 विद्यार्थी प्राईवेट आधार पर परीक्षा में बैठे, जिनमें से 46.96 प्रतिशत विद्यार्थी पास घोषित हुए ।

दसवीं कक्षा की परीक्षा में 82656 विद्यार्थी नियमित तौर पर बैठे, जिनमें से 68.43 प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण घोषित हुए तथा 20606 विद्यार्थी प्राईवेट तौर पर परीक्षा में बैठे और 33.43 प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण घोषित हुए । उच्चतर माध्यमिक कक्षा का परिणाम 49.46 पास प्रतिशत रहा ।

अराजकीय विद्यालयों को सरकारी नियन्त्रण में लेना

3.15 रिपोर्टाधीन अवधि में निम्न स्कूलों को सरकार ने अपने अधीन लिया

1. पब्लिक हाई स्कूल, जुआं (सोनीपत)
2. आदर्श हाई स्कूल, हलालपुर (सोनीपत)
3. बी. बी. आर. हाई स्कूल, सिद्धारोली (गुड़गांव)
4. एन. आर. हाई स्कूल, पटिकड़ा (नारनौल)
5. डी. ए. वी. हाई स्कूल, भम्बेवा (जींद)
6. सर्वोदय हाई स्कूल, पातली स्टेशन (गुड़गांव)
7. सरस्वती हाई स्कूल, बलाही (कुरूक्षेत्र)

अराजकीय विद्यालयों को अनुदान

3.16 पूर्व वर्षों की भांति वर्ष 1980—81 में भी अराजकीय विद्यालयों को निम्नलिखित अनुसार अनुदान दिया गया :—

	लाख रुपयों में
प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालय	24.17
उच्च/उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	57.97
स्थानीय विकास कैंट बोर्ड प्राईमरी	0.20
संस्कृत विद्यालय गुरूकुल	0.87
हरियाणा साकेत कौंसिल चण्डीमन्दिर	0.68
हरियाणा वैलफेयर सोसायटी फार डैफ एण्ड डम्ब चण्डीगढ़ को गुड़गांव केन्द्र के लिए	0.90
गांधी इन्स्टीच्युट आफ स्टगेज वाराणसी	—

उपरोक्त अनुदान के अतिरिक्त 10 अराजकीय उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक

विद्यालयों को उपकरणों के खरीदने के लिए 500/— रुपये प्रति स्कूल की दर से 5000/— रुपये की राशि का उपकरण अनुदान भी दिया गया।

अराजकीय प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को घाटे की 75 प्रतिशत राशि अनुदान के रूप में भी दी गई। इसके अतिरिक्त रिपोर्टाधीन अवधि में अराजकीय विद्यालयों को कोठारी ग्रांट स्कीम के अन्तर्गत 59.27 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई।

अध्याय चौथा

"महाविद्यालय शिक्षा"

महाविद्यालयों की संख्या

4.1 रिपोर्टाधीन अवधि में राज्य में महाविद्यालयों की संख्या 118 थी, जिसमें 20 शिक्षा महाविद्यालय और 98 महाविद्यालय सामान्य शिक्षा के थे। राज्य में प्रशासनिक प्रबन्ध अनुसार इन महाविद्यालयों की संख्या इस प्रकार रही है :—

राज्य सरकार द्वारा	प्राईवेट बाडीज द्वारा	विश्वविद्यालय द्वारा	जोड़
25	89	4	118

गैर सरकारी महाविद्यालयों को सरकारी नियन्त्रण में लेना

4.2 वर्ष 1980–81 में निम्नलिखित महाविद्यालय को उनके सम्मुख लिखी तिथि से राज्य सरकार द्वारा अपने नियंत्रण में ले लिया गया :—

1. के0 एम0 कालिज, जटौली, हेली मण्डी — 3-4-80
2. बी0 बी0 आर0 कालिज, सिद्धारोली — 11-2-81
3. एच0 डब्ल्यु0 एम0 एम0 कालिज, गोहाना — 12-2-81

राजकीय महाविद्यालयो में नए विषयों/कक्षाओं को चालू करना

4.3 वर्ष 1980–81 में उच्च शिक्षा सुविधाओं के विस्तार हेतु राजकीय महाविद्यालय को उनके सम्मुख दिये गए निम्नलिखित विषयों की कक्षाऐं

आरम्भ की गई :—

महाविद्यालयों के नाम	विषय तथा कक्षाएं
1. राजकीय महाविद्यालय, जींद	अंग्रेजी (एम0 ए0 भाग-I)
2. राजकीय महाविद्यालय, हिसार	अंग्रेजी (एम0 ए0 भाग-I)
3. राजकीय महाविद्यालय, महेन्द्रगढ़	हिन्दी (एम0 ए0 भाग-I) कृषि (प्रैप)
4. राजकीय महाविद्यालय, कालका	होमसाईंस, पंजाबी तथा कामर्स (प्रैप, टी0 डी0 सी0 भाग-I)
5. राजकीय महाविद्यालय, बहादुरगढ़	कामर्स (प्रैप, टी0 डी0 सी0 भाग-I)
6. राजकीय महिला महाविद्यालय, रोहतक	बी0 एस0 सी0 (मैडिकल) (टी0 डी0 सी0 भाग -I)
7. राजकीय महाविद्यालय, करनाल	मिलट्री साईंस तथा साईकोलोजी टी0 डी0 सी0 भाग -I)

प्राध्यापकों के अतिरिक्त पदों की सृजन

4.4 राजकीय महाविद्यालयों में कार्यभार के आधार पर सरकार ने वर्ष 1980—81 में 30 प्राध्यापकों के अतिरिक्त पद सृजन किये गए हैं :—

अराजकीय महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों को सहायता अनुदान

4.5 राज्य के अराजकीय महाविद्यालयों को वर्ष 1980—81 में भिन्न-भिन्न योजनाओं के अन्तर्गत निम्नलिखित अनुदान दिये गए :—

	(रुपये लाखों में)
1. यू0 जी0 सी0 (1-11-66) संशोधित वेतनमानों के कारण	15.37
2. यू0 जी0 सी0 (1-11-73) संशोधित वेतनमानों के कारण	39.17
3. अनुरक्षण अनुदान	175.38

	(रुपये लाखों में)
4. विकास अनुदान	12.50
5. स्पैशल अनुरक्षण अनुदान	1.00
6. तदर्थ अनुदान	4.59
7. डी0 पी0 (अतिरिक्त अनुदान)	0.05
8. मैचिंग ग्रांट	0.09

4.6 विश्वविद्यालयों को दिन-प्रतिदिन के खर्चे हेतु तथा विकास कार्यों के लिए वर्ष 1980–81 में 500.28 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई, जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

	योजनेत्तर	योजनागत
कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र	156.55 लाख रु0	57.75 लाख रु.
महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक	118.00 लाख रु.	167.98 लाख रु.

अन्य संस्थाओं को दी जाने वाली दी गई वित्तीय सहायता

(क)	विद्यापीठ वनस्थली	5,000/– रुपये
(ख)	आई0 सी0 एस0 एम0 आर0 पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़	30,000/– रु.

राजकीय महाविद्यालयों के लिए भवनों/छात्रावासों का निर्माण

4.7 रिपोर्टाधीन अवधि में सरकार ने आदमपुर (हिसार) में नया कालिज खोलने हेतु भवन निर्माणानार्थ 1,34,88000/– रुपये की लागत के प्लान/अनुमान की स्वीकृति जारी की है।

छात्र संख्या

4.8 रिपोर्टाधीन वर्ष में राज्य में 83782 छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे

थे। संस्थानुसार छात्रों की संख्या इस प्रकार थी :—

संस्था का स्तर	छात्र संख्या		
	लड़के	लड़कियां	जोड़
1. राजकीय महाविद्यालय	17384	4965	22349
2. अराजकीय महाविद्यालय	37410	19997	57407
3. विश्वविद्यालय	2898	1021	3919
जोड़	57692	25983	83675

अध्याय पाँचवां

'शिक्षक प्रशिक्षण'

5.1 शिक्षा का स्तर अध्यापकों के व्यवसायिक प्रशिक्षण पर निर्भर करता है। शिक्षा के क्षेत्र में दिन-प्रति-दिन कई प्रकार के नए अनुसंधान हो रहे हैं तथा प्रयोगों से भली भांति परिचित होना आवश्यक है। इसलिए शिक्षक को व्यवसायिक दक्षता प्राप्त करने के लिए दो प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता है:

1. सेवाकाल से पूर्व प्रशिक्षण
2. सेवाकालीन प्रशिक्षण

सेवाकाल से पूर्व प्रशिक्षण

5.2 वर्ष 1980—81 में भिन्न-भिन्न वर्गों के अध्यापकों के लिए राज्य में निम्नलिखित पाठ्यक्रम की सुविधाऐं उपलब्ध थी।

एम0 एड0 कक्षायें

5.3 राज्य में एम0 एड0 की कक्षाऐं केवल सोहन लाल शिक्षण महाविद्यालय, अम्बाला तथा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में उपलब्ध रही। दोनों संस्थाओं में वर्ष 1980—81 में 36 लड़के तथा 39 लड़कियां ने प्रवेश प्राप्त किया।

बी0 एड0 कक्षायें

5.4 वर्ष 1980-81 में श्री भगवान कृष्ण शिक्षा महाविद्यालय, मण्डी डबवाली (सिरसा) में खोला गया। अत: अब शिक्षा महाविद्यालय की संख्या 20 हो गई है, जिनमें बी0एड0 प्रशिक्षण अध्यापकों की कक्षायें चालू हैं। इन सभी महाविद्यालयों में 1004 लड़के एवं 2287 लड़कियों ने बी0 एड0 की कक्षाओं में प्रवेश प्राप्त किया।

ओ0 टी0 प्रशिक्षण कक्षायें

5.5 रिपोर्टाधीन अवधि में निम्नलिखित संस्थाओं में हिन्दी, संस्कृत तथा पंजाबी

की ओ0 टी0 कक्षाऐं खोलने की अनुमति दी गई

1.	राजकीय शिक्षण महाविद्यालय, भिवानी	हिन्दी ओ. टी. 45 तथा संस्कृत ओ. टी. 80 सीटस
2.	राजकीय जे. बी. टी, स्कूल नारायणगढ़	पंजाबी ओ. टी. 45 सीटस
3.	राव विरेन्द्र सिंह कालिज आफ एजुकेशन रिवाड़ी	हिन्दी ओ. टी. 110 सीटस पंजाबी ओ. टी. 102 सीटस

जे0 बी0 टी0/नर्सरी टीचर्ज ट्रेनिंग

5.6 डिप्लोमा-जन-एजुकेशन कक्षाऐं/नर्सरी अध्यापक प्रशिक्षण वर्ष 1980–81 में बन्द रहा, क्योंकि काफी संख्या में प्राथमिक अध्यापक बेरोजगार थे।

सेवाकालीन प्रशिक्षण

5.7 गत वर्षों की भांति वर्ष 1980–81 में भी प्राथमिक तथा स्नातक अध्यापकों के लिए निम्नलिखित सेवाकालीन प्रशिक्षण आयोजित किये गए.

प्रशिक्षण का विवरण	प्रशिक्षण अवधि दिनों में	जितने अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण आयोजित किया गया।
1. शिक्षा अधिकारी	5	50
2. मुख्याध्यापक/मख्याध्यापिका/उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के प्रधानाचार्य	5	700
3. खण्ड शिक्षा अधिकारी	5	94
4. माध्यमिक अध्यापक	20	1200
5. प्राथमिक अध्यापक	16	4000

6. कैमट (सी. ए. एम. ई. टी.) कार्यक्रम के अधीन ब्रिटिश एक्सपर्ट की अध्यक्षता में एक फोलोअप सैमीनार का आयोजन एस. सी. ई. आर. टी. में किया गया। इसमें गणित के 22 प्राध्यापकों ने भाग लिया।

अध्याय 6

'प्रौढ़ शिक्षा एवं अनौपचारिक शिक्षा"

6.1 हरियाणा राज्य में प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम 2 अक्तूबर, 1978 से बड़े पैमाने पर आरम्भ किया गया। इससे पहले भी प्रौढ़ शिक्षा एवं समाज शिक्षा का कार्यक्रम राज्य के कुछ जिलों में चलाया जा रहा था, जिनमें प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों की संख्या 198 थी। परन्तु अब 31 मार्च, 1981 को प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों की संख्या 3394 हो गई है, जिनमें प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम चल रहा है। इन 3394 केन्द्रों में से पुरुष तथा महिला केन्द्रों की संख्या इस प्रकार है

पुरूष	महिला	जोड़
1483	1911	3394

राज्य में भिन्न-भिन्न स्कीमों के अन्तर्गत स्वीकृत केन्द्रों की संख्या निम्न प्रकार है :—

स्कीम	केन्द्रों की संख्या
1. ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता (केन्द्रीय सरकार द्वारा संचालित)	2400
2. राज्य योजनेत्तर स्कीम	1042
3. समाज शिक्षा केन्द्र (राज्य योजनेत्तर स्कीम)	58
जोड़	3500

साक्षरता प्राप्त करने वाले प्रौढ़ों की संख्या

6.2 रिपोर्टाधीन वर्ष में लाभान्वित प्रौढ़ों की कुल संख्या 76175 थी, जिसमें से

पुरूष 35364 तथा महिलाएं 40811 हैं। इनमें से ग्रामीण क्षेत्रों तथा अनुसूचित जातियों के लाभान्वित प्रौढ़ों की संख्या निम्न प्रकार है.

	पुरूष	महिला	जोड़
1. ग्रामीण क्षेत्र में प्रौढ़ शिक्षा प्राप्त करने वाले प्रौढ़ों की संख्या	33976	34570	68546
2. अनुसूचित जातियों के लाभान्वित प्रौढ़ों की संख्या	9075	8257	17332

वित्त व्यवस्था

6.3 वर्ष 1980–81 में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के लिए व्यय (प्रोविजनल) निम्न प्रकार है

1. केन्द्रीय सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रम	41.79 लाख रुपये
2. राज्य सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रम	21.23 लाख रुपये
जोड़	63.02 लाख रुपये

शिक्षार्थियों की परीक्षा

6.4 वर्ष 1980–81 में 76175 प्रौढ़ों को दाखिल किया गया, जिनका पढ़ने, लिखने, संख्यात्मक तथा कार्यात्मक में साधारण परीक्षा ली गई, जिसमें 32513 शिक्षार्थियों ने परीक्षा पास की।

जिला शिक्षा बोर्ड

6.5 जिला स्तर पर प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को प्रोत्साहन देने के लिए उपायुक्तों की अध्यक्षता में जिला प्रौढ़ शिक्षा बोर्ड बनाए गए हैं। इसके अतिरिक्त प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रम को सुदृढ़ बनाने तथा विकसित करने के लिए जिला स्तर पर जिला संसाधन केन्द्रों का गठन भी किया गया है।

स्वैच्छिक संस्थाएँ :

6.6 प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में स्वैच्छिक संस्थाओं का भी अपना स्थान है। सरकारी कार्यक्रम के अतिरिक्त स्वैच्छिक संस्था जनता कल्याण समिति, रिवाड़ी, सामाजिक कार्य तथा अनुसंधान केन्द्र, रिवाड़ी (महेन्द्रगढ़), नेहरू युवक केन्द्र, गुडगांव तथा करनाल में प्रौढ़ों को शिक्षा देने में कार्यरत हैं। वर्ष 1980–81 में इन संस्थाओं द्वारा शिक्षा कार्यक्रम बन्द रहा, क्योंकि इन संस्थाओं को वर्ष 1980–81 में अनुदान की कोई राशि स्वीकृत नहीं की गई।

संसाधन केन्द्रों की स्थापना

6.7 प्रौढ़ शिक्षा तथा अनौपचारिक शिक्षा से सम्बन्धित साहित्यिक सामग्री तैयार करने/उपलब्ध करने के लिए निदेशालय स्तर तर राज्य संसाधन केन्द्र की स्थापना की हुई हैं। इसी तरह जिला स्तर पर भी संसाधन केन्द्रों की स्थापना की हुई है।

अनौपचारिक शिक्षा

6.8 हरियाणा में अनौपचारिक शिक्षा का कार्यक्रम वर्ष 1974–75 में प्रयोगात्मक उद्देश्य से आरम्भ किया गया। आरम्भ में 11–13 तथा 14–17 आयु वर्ग के उन बच्चों को 5वीं तथा 8वीं की परीक्षा के लिए तैयार करना था जिन्हें मध्य में ही पढ़ना छोड़ दिया था। वर्ष 1977–78 में कुछ अल्प-समय स्कूल भी आरम्भ किये गए, जिनमें वे बच्चे पढ़ सकें जो स्कूलों में पढ़ने नहीं जाते। जब राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को 2 अक्तूबर 1978 से आरम्भ किया तो अनौपचारिक शिक्षा की उपरोक्त दोनों स्कीमें बन्द कर दी गई; अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम को पुनर्गठन किया गया तथा 2500 प्राथमिक स्तर के और 120 माध्यमिक स्तर के केन्द्र स्वीकृत किये गए। वर्ष 1980–81 में स्वीकृत केन्द्रों की संख्या 3345 प्राथमिक स्तर पर तथा 120 माध्यमिक स्तर पर थी। इनमें से क्रियाशील केन्द्रों की संख्या निम्न प्रकार है

स्तर	ग्रामीण क्षेत्र	शहरी क्षेत्र	जोड़
प्राथमिक	2708	366	3074
माध्यमिक	55	5	60

6.9 रिपोर्टाधीन अवधि में अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों से लाभान्वित छात्रों की संख्या निम्न प्रकार रही

	कुल छात्र संख्या			अनुसूचित जाति की छात्र संख्या		
	लड़के	लड़कियां	जोड़	लड़के	लड़कियां	जोड़
प्राथमिक स्तर	33489	39272	72761	9714	9422	19138
माध्यमिक स्तर	613	344	957	131	31	162

वित्त व्यवस्था

6.10 वर्ष 1980–81 में अनौपचारिक शिक्षा पर निम्न अनुसार व्यय (प्रोविजनल) किया गया

1. योजनेत्तर	34.10 लाख रुपए
2. योजना	12.30 लाख रुपये
जोड़:	46.40 लाख रुपए

छात्रों को प्रोत्साहन

6.11 रिपोर्टाधीन अवधि में सभी छात्रों को मुफ्त पाठ्य पुस्तकें, लेखन सामग्री तथा कार्यानुभव के लिए सामग्री दी गई। इसके अतिरिक्त 9330 हरिजन छात्राओं को 2.83 लाख रुपये की मुफ्त वर्दियां देने की स्वीकृति दी गई।

प्रशासनिक व्यवस्था

6.12 मुख्यालय में अनौपचारिक शिक्षा के लिए एक पद मुख्य अनौपचारिक शिक्षा अधिकारी का है। क्षेत्र में अनौपचारिक शिक्षा के कार्यक्रम की देखभाल जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी ही करते हैं।

अनौपचारिक शिक्षा के विषय में अनुभव

6.13 सामान्य रूप से अनौपचारिक शिक्षा स्कीम की प्रशंसा की गई है तथा अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र बहुत अच्छी तरह् कार्य कर रहे हैं और इसे सारे राज्य में विस्तृत करने की आवश्यकता है । सर्व प्राथमिक शिक्षा उपलब्धि को ध्यान में रखते हुए अनौपचारिक शिक्षा को अतिरिक्त पर्यवेक्षक अमले की आवश्यक्ता है तथा अनौपचारिक और औपचारिक शिक्षा में समन्वय की आवश्यक्ता है ।

अध्याय सातवां

"महिला शिक्षा"

7.1 हरियाणा में स्त्री शिक्षा के प्रोत्साहन के लिये कई प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध की गईं हैं। रिपोर्टाधीन अवधि में इन सुविधाओं में और वृद्धि की गई है।

(क) पहली से आठवीं कक्षा तक सभी राजकीय विद्यालयों में लड़कियों को निःशुल्क शिक्षा की सुविधा उपलब्ध है। उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में लड़कियों से लड़कों की अपेक्षा टयूशन फीस कम लीं जाती है। अराजकीय विद्यालयों में भी छठी से ग्यारहवीं कक्षा तक पढ़ने वाली कन्याओं की फीस की दर लड़कों की अपेक्षा कम रखी गई है।

(ख) माध्यमिक कक्षाओं में पढ़ने वाली 20,000 लड़कियों को, 20 रुपये प्रति छात्रा प्रति वर्ष, 4.00 लाख रुपये की लागत की मुफ्त लेखन सामग्री दी गई है।

(ग) प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ने वाली 40,000 हरिजन छात्राओं को 10 रुपये प्रति छात्रा प्रति मास के हिसाब से 48 लाख रुपये की उपस्थिति छात्रवृत्ति दी गई।

(घ) प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ने वाली 26,233 हरिजन छात्राओं को, 30 रुपये की प्रति छात्रा प्रति वर्ष, 7.87 लाख रुपये की लागत की मुफ्त वर्दी दी गई है।

(ङ) हरिजन कन्याओं को नौवीं, दसवीं तथा ग्यारहवीं कक्षाओं में क्रमशः 20, 25 और 30 रुपये की दर से योग्यता छात्रवृत्तियां देने की व्यवस्था है। यह छात्रवृत्तियां आठवीं कक्षा के वार्षिक परीक्षा परिणाम के आधार पर 50 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाली कन्याओं को दी जाती है और इस स्कीम के अधीन 150 हरिजन कन्यायें लाभान्वित होती हैं।

(च) विधवाओं / पतियों से अलग रहने वाली / विवाह विच्छेद स्त्रियों के लिये जे0बी0टी0 / एल0टी0सी0 / नर्सरी प्रशिक्षण कक्षाओं में कुछ स्थान आरक्षित

रखे जाते हैं। ऐसी महिलाओं को अधिकतम आयु में साधारण ढील दे दी जाती है। यह स्त्रियां 31 वर्ष की आयु तक प्रवेश प्राप्त कर सकती हैं जबकि पुरुषों की अधिकतम आयु केवल 26 वर्ष है। उन मिलिट्री पुरुषों की पत्नियों या उनके आश्रितों की जो अयोग्य हो गये हों या लड़ते-लड़ते मारे गये हों, प्रवेश के लिये अधिकतम आयु की सीमा 41 वर्ष है।

(छ) यह भी निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक स्कूल में एक महिला अध्यापिका नियुक्त की जाये ताकि अधिक से अधिक छात्रायें स्कूलों की ओर आकर्षित हों। यदि प्रशिक्षित अध्यापिका उपलब्ध न हो तो अप्रशिक्षित अध्यापिका नियुक्त की जाये तथा वेतन योग्यता के आधार पर निर्धारित किया जाये। इस तरह की अध्यापिकायें अस्थाई होंगी।

(ज) उपरोक्त के अतिरिक्त "राज्य महिला परिषद्" भी स्त्री शिक्षा के लिये सलाह, नीति, लक्ष्य तथा कार्यक्रम के बारे में सरकार को सलाह देती है।

महिला शिक्षा संस्थाओं की संख्या

7.2 रिपोर्टाधीन अवधि में महिला शिक्षा संस्थाओं की 31–3–81 की संख्या निम्न प्रकार थी

क्रमांक	संस्था का प्रकार	राजकीय	अराजकीय	जोड़
1.	प्राथमिक विद्यालय	275	15	290
2.	माध्यमिक विद्यालय	96	5	101
3.	उच्च विद्यालय	170	67	237
4.	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	20	—	20
5.	महाविद्यालय	1	22	23

पिछले कुछ वर्षों से कन्याओं के स्कूलों की संख्या में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई है। इसका कारण यह है कि जिन स्थानों पर कन्याओं के अलग स्कूल नहीं हैं वहां पर वे

लड़कों के स्कूलों में ही शिक्षा प्राप्त कर सकतीं हैं। परन्तु कन्याओं के लिये अलग प्राथमिक स्कूल निम्नलिखित शर्तों पर ही खोले जा सकते हैं।

1. यदि स्थानीय ग्रामीण जनता की मांग हो।

2. यदि स्थानीय जनता स्कूल के भवन के लिये प्रबन्ध कर दें।

3. यदि 30 या 40 कन्यायें विद्यालय में प्रवेश पाने के लिए उपलब्ध हों।

4. यदि एक मील के क्षेत्र में कन्याओं के लिये कोई और विद्यालय न हो।

जिला शिक्षा अधिकारी, कन्याओं के लिये अलग प्राथमिक ब्रान्च विद्यालय भी खोल सकते हैं यदि उस गांव में लड़कियों की संख्या पर्याप्त हो और अतिरिक्त स्टाफ देने की आवश्यकता न हो।

विभिन्न स्तरों पर पढ़ने वाली छात्राओं की संख्या

7.3 वर्ष 1980–81 में राज्य में विभिन्न स्तरों पर पढ़ने वाली छात्राओं की संख्या निम्न प्रकार रही

शिक्षा का स्तर	छात्राएं
प्राथमिक स्तर	422847
माध्यमिक स्तर	125778
उच्च / उच्चतर माध्यमिक स्तर	41443
महाविद्यालय / विश्वविद्यालय स्तर	25983
जोड़:	616051

अध्याय आठवां

"शिक्षा सुधार कार्यक्रम"

8.1 शिक्षा में गुणात्मक सुधारों के लिये तथा शिक्षा के स्तर को समुन्नत करने के लिये विभाग द्वारा रिपोर्टाधीन अवधि में कई कार्यक्रम चलाये गये हैं। अध्यापक को नवीनतम शिक्षण पद्धतियों तथा विधियों के अनुसार विद्यार्थियों को शिक्षा देने हेतु राज्य शिक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् एवं राज्य विज्ञान संस्थान द्वारा समय-समय पर मार्गदर्शन दिया जाता रहा है। वर्ष 1980–81 में 4000 प्राथमिक अध्यापकों, 1200 स्नातक अध्यापकों, 94 खण्ड शिक्षा अधिकारियों, 700 हाई / हायर सैकेण्डरी स्कूलों के मुखियों, 50 शिक्षा अधिकारियों को सेवा कालीन प्रशिक्षण दिया गया। इसके अतिरिक्त (C. A. M. E. T.) कार्यक्रम के अधीन ब्रिटिश एक्सपर्ट की अध्यक्षता में एक फौलोअप सैमीनार का आयोजन (एैन0सी0ई0आर0टी0) में किया गया। इसमें गणित के 22 प्राध्यापकों ने भाग लिया।

राज्य शिक्षा संस्थान के प्रकाशन विभाग द्वारा "प्राथमिक अध्यापक" नामक मासिक पत्रिका प्रकाशित की जाती है। इस पत्रिका के माध्यम से प्राथमिक अध्यापकों के लिये सेवाकालीन प्रशिक्षण तथा व्यवसायिक विकास के लिये पत्राचार कार्यक्रम व्यापक रूप से चलाया जाता है। वह पत्रिका राज्य के लगभग 30 हजार प्राथमिक अध्यापकों को निःशुल्क उपलब्ध की जाती है। प्राथमिक अध्यापकों को प्रति मास संगम की बैठकों में इस पत्रिका में प्रकाशित सामग्री पर विचार विमर्श करते हैं, जिसमें बच्चों को रोचक तथा सुगम ढंग से शिक्षा देने का ज्ञान प्राप्त होता है।

शाला संगम

8.2 स्थापित किये गये शाला संगम केन्द्रों में आयोजित मासिक बैठकों में प्राथमिक अध्यापकों की व्यवसायिक कुशलता को बढ़ाने के लिये कई प्रकार के कार्यक्रम अपनाये जाते हैं। इन मासिक बैठकों में अध्यापक कक्षा संबंधी अध्यापन समस्याओं पर परस्पर विचार विमर्श करते हैं। इन बैठकों में खण्ड शिक्षा अधिकारी, उप मण्डल शिक्षा अधिकारी तथा जिला शिक्षा अधिकारी समय-समय पर भाग लेते हैं।

कक्षा शिक्षा नीति तथा परीक्षा प्रणाली में सुधार

8.3 सामान्यतः ऐसा होता है कि एक ही कक्षा में कुछ विद्यार्थी पढ़ाई में तीव्र होते हैं तथा कुछ मन्द होते हैं। अतः विभाग ने यह अनुमति दी है कि यदि कक्षा में छात्रों की संख्या अधिक हो तो कक्षा के अलग-अलग सैक्शन बना लें तथा इन सैक्शनों को इस तरह बनायें कि तीव्र बुद्धि के बच्चे एक सैक्शन में आ जायें तथा मन्द बुद्धि के बच्चे दूसरे सैक्शन में आ जायें और जिस शिक्षक के पास मन्द बुद्धि वाले बच्चे हो उनके परिणाम को देखते समय इस बात का ध्यान रखा जाये कि वह कमजोर सैक्शन पढ़ा रहा था।

पहली से चौथी कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों के लिये यह परीक्षा नीति अपनाई है कि पहली तथा दूसरी कक्षा में कोई बच्चा फेल न किया जाये तथा तीसरी तथा चौथी की कक्षाओं में परीक्षा के परिणाम अनुसार कार्यवाही की जाये।

कार्य अनुभव

8.4 कार्य अनुभव शिक्षा का महत्वपूर्ण तथा अभिन्न अंग है। यह विषय राज्य के सभी राजकीय स्कूलों में पढ़ाया जाता है। स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा यह विषय अनिवार्य घोषित किया जा चुका है तथा नये शैक्षिक ढांचे 10 जमा 2 जमा 3 के अन्तर्गत भी कार्यानुभव एक अनिवार्य विषय है। इस प्रयोजन के लिये राज्य के सभी माध्यमिक विद्यालयों एवं उच्च विद्यालयों के लिये वर्ष 1979–80 में 7,97,460 रुपये की राशि की व्यवस्था करवाई गई थी परन्तु वर्ष 1979–80 में 10 जमा 2 जमा 3 पद्धति लागू न होने के कारण यह राशि प्रयोग में नहीं लाई जा सकी। रिपोर्टाधीन अवधि में इस स्कीम के अन्तर्गत माध्यमिक, उच्च/उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में 1.86 लाख रुपये की राशि तथा प्राथमिक स्कूलों में 3.00 लाख रुपये की राशि वितरित की गई है। अध्यापकों को कार्यानुभव में प्रशिक्षण देने के लिये राज्य में तीन कार्यानुभव केन्द्र नारनौल, नीलोखेड़ी तथा गुड़गांवा में कार्यरत हैं।

शिक्षा संस्थाओं में आवश्यक सुविधाओं का उपलब्ध करना

8.5 रिपोर्टाधीन अवधि में शिक्षा संस्थाओं में आवश्यक तथा भौतिक सुविधाओं को उपलब्ध करने के लिये विशेष पग उठाये गये।

हरियाणा राज्य में अधिकतर स्कूलों के भवनों की स्थिति अच्छी नहीं है। अतः शिक्षा विभाग ने स्कूलों के भवनों के लिये एक विशाल कार्यक्रम आरम्भ किया है। शिक्षा विभाग द्वारा बनाये गये नए निधि नियम (बिल्डिंग फण्ड रुल्ज) राजकीय स्कूलों में फण्ड के अन्तर्गत एकत्रित की गई राशि का 80 प्रतिशत विभाग के मुद्रा कोष (मनी पूल) में जमा करवाना पड़ता है। सरकार ने यह भी फैसला किया है कि जिन स्कूलों के भवन पूरी तरह तैयार हैं उन्हें देखभाल के लिये लोक निर्माण विभाग को सौंप दिया जाये।

प्राथमिक तथा माध्यमिक स्कूलों में अतिरिक्त कमरे बनवाने के लिये 25 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई तथा रा0 प्रा0 पा0 जगाधरी तथा यमुनानगर के नये भवन के निर्माण हेतु 23.19 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई। इसी प्रकार माध्यमिक शिक्षा के वर्ष 1979–81 में उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में 60 अतिरिक्त कमरों के निर्माण के लिये 28.80 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई थी तथा वर्ष 1980–81 में 27 अतिरिक्त कमरों के निर्माण के लिये 15 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई। इसके अतिरिक्त रा0क0 उ0वि0 पेहवा के भवन निर्माण के लिये 27 लाख रुपये तथा रा0क0उ0वि0 होडल के स्कूल भवन के लिये 5.63 लाख रुपये की राशि व्यय की गई।

स्कूल भवनों की मुरम्मत के लिये वर्ष 1979–80 में 1.68 करोड़ रुपये की राशि के 395 अनुमानों की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई तथा वर्ष 1980–81 में 1.10 करोड़ रुपये की राशि के 200 अनुमानों की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई थी। स्कूल भवनों की मुरम्मत का कार्य पूरा करने के लिये अब तक लगभग 1.25 करोड़ रुपये की राशि हरियाणा पी0 डब्ल्यू0 डी0 के निपटान पर रखी जा चुकी है और इस वर्ष के अन्त तक 1.16 करोड़ रुपये की ओर राशि पी0डब्ल्यू0डी0 के निपटान पर रखी जायेगी जिसकी व्यवस्था कर ली गई है।

अन्य भौतिक सुविधा

8.6 वर्ष 1980–81 में राज्य के 1000 प्राथमिक स्कूलों में 300 रुपये प्रति प्राथमिक स्कूल की दर से 3.00 लाख रुपये की राशि खेल-कूद तथा मनोरंजन की सामग्री जटाने हेतु और इन प्राथमिक स्कूलों के खेलों के मैदानों के विकास के लिये प्रदान की गई।

अध्याय नौवां

'छात्रवृतियां तथा अन्य वित्तिय सहायता'

9.1 सुपात्र एवं योग्य विद्यार्थियों को शिक्षा के भिन्न-भिन्न स्तर पर शिक्षा प्राप्ति के लिए राज्य तथा भारत सरकार की भिन्न-भिन्न स्कीमों के अन्तर्गत अनेक प्रकार की छात्रवृत्तियां तथा वित्तीय सहायता दी जाती है। इसके अतिरिक्त अनुसूचित तथा पिछड़ी जाति के छात्रों को समाज कल्याण विभाग, हरियाणा द्वारा शिक्षा विभाग को जुटाई गई राशि में से वजीफे एवं वित्तीय सहायता हर वर्ष दी जाती है।

भारत सरकार राष्ट्रीय छात्रवृति योजना

9.2 (क) महाविद्यालयों में पढ़ने वाले योग्य छात्रों को उत्साहित करने के लिए इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1980–81 में 1120 छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान की गईं। इन छात्रवृत्तियों पर 10.20 लाख रुपये की राशि व्यय की गई।

(ख) हरियाणा राज्य के प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के बच्चों को भारत सरकार तथा हरियाणा राज्य की ओर से कुल 10 छात्रवृत्तियां वर्ष 1980–81 में मैट्रिक उच्चतर माध्यमिक तथा प्री-युनिवर्सिटी परीक्षा के आधार पर प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त पिछले वर्षों की 51 छात्रवृत्तियों का नवीकरण भी किया गया। इस पर वर्ष 1980–81 में 43275 रुपये व्यय किये गये।

राज्य योग्यता छात्रवृति योजना

9.3 इस स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 1980–81 में 750 हरियाणवीं योग्य छात्रों को मैट्रिक उपरान्त उच्च शिक्षा की संस्थाओं में पढ़ने के लिए योग्यता छात्रवृत्तियां दी गई। विचाराधीन अवधि में योग्यता छात्रवृत्तियों के रूप में 4.29 लाख रुपये की राशि छात्रों में वितरित की गई।

राष्ट्रीय ऋण छात्रवृति योजना

9.4 इस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा गरीब माता-पिता के योग्य बच्चों को जो कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करते हैं, उनको ऋण के तौर पर उच्च

शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रवृत्ति ऋण के रूप में दी जाती है। वर्ष 1980—81 में 258 छात्रों को 1.90 लाख रुपये की राशि वितरित की गई।

सैनिक स्कूलों में पढ़ने वाले हरियाणवी छात्रों को छात्रवृतियां

9.5 देश के विभिन्न सैनिक स्कूलों तथा पंजाब पब्लिक स्कूल नाभा में शिक्षा ग्रहण करने के लिए वर्ष 1980—81 में 603 हरियाणवीं छात्रों को छात्रवृत्ति राशि एवं कपड़ा भत्ता के रूप में 23,31,381 रुपये की राशि प्रदान की गई।

स्कूलों में छात्रों के लिए योग्यता छात्रवृति योजना

9.6 (क) राज्य सरकार की ओर से पांचवीं कक्षा स्तरीय योग्यता छात्रवृत्ति परीक्षा के आधार पर माध्यमिक कक्षाओं में (छठी से आंठवीं कक्षा तक) 10 रुपये मासिक दर से वर्ष 1980—81 में 2014 छात्रवृत्तियां देने के लिए 2.42 लाख रुपये की राशि खर्च करने की व्यवस्था की गई थी।

(ख) माध्यमिक परीक्षा पर आधारित योग्यता छात्रवृत्ति 15 रुपये मासिक प्रति छात्रवृत्ति की दर से वर्ष 1980—81 में 1518 छात्रवृत्तियां देने के लिए 2.73 लाख रुपये की राशि खर्च की गई।

तेलगू भाषा प्रोत्साहन हेतु छात्रवृतियां

9.7 हरियाणा में सातवीं कक्षा से तेलगू भाषा की शिक्षा तीसरी भाषा के रूप में दी जाती है जो छात्र तेलगू भाषा पढ़ता है उसे 10 रुपये प्रति मास की दर से छात्रवृत्ति दी जाती है। वर्ष 1980—81 में इस कार्य के लिए 37,740 रुपये की राशि की व्यवस्था की गई।

राज्य हरिजन कल्याण योजना अधीन अनसूचित जातियां तथा पिछड़े वर्ग के छात्रों को सुविधाएं

9.8 (क) अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्ग के छात्रों/छात्राओं को सभी प्रकार की शैक्षणिक, व्यवसायिक तथा तकनीकी शिक्षा के लिए विशेष सुविधायें तथा वित्तीय सहायता दी जाती है। ऐसे छात्र बिना भेदभाव के राज्य के सभी मान्यता प्राप्त शिक्षा

संस्थाओं में प्रवेश पा सकते हैं। निःशुल्क शिक्षा और छात्रवृत्तियां के अतिरिक्त परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति भी की जाती है। इस योजना के अधीन नौवीं, दसवीं तथा ग्यारहवीं कक्षाओं में पढ़ने वाले हरिजन एवं पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को 16 रुपये मासिक दर से स्टाईपैण्ड प्रदान किये जाते हैं। इस स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 1980–81 में 55.22 लाख रुपये की व्यवस्था की गई थी।

(ख) महाविद्यालय स्तर पर पिछड़े वर्ग के छात्र / छात्राओं को विभिन्न कक्षाओं और कोर्सों में पढ़ने हेतु 30 रुपये मासिक दर से 70 रुपये मासिक दर तक वजीफे / छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। वर्ष 1980–81 में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले पिछड़े वर्ग के लगभग 3500 छात्र/छात्राओं को 16.46 लाख रुपये की छात्रवृत्तियां/वजीफे दिये गये। इस राशि में से पिछड़े वर्ग के छात्रों की परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति भी की गई।

भारत सरकार के मैट्रिक उपरान्त अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं की छात्रवृति योजना

9.9 इस स्कीम के अन्तर्गत मैट्रिक उपरान्त शिक्षा संस्थाओं में भिन्न-भिन्न कोर्सों में पढ़ने वाले अनुसूचित जातियों के छात्रों/छात्राओं को 40 रुपये से लेकर 200 रुपये मासिक दर से छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। वर्ष 1980–81 में इस स्कीम के अन्तर्गत 4756 छात्र / छात्राओं को लाभान्वित किया गया तथा 41.45 लाख रुपये की राशि खर्च की गई। यह छात्रवृत्तियां तथा इस प्रकार की अन्य वित्तीय सहायता विद्यार्थियों को उनके माता-पिता / संरक्षकों की वार्षिक आय के आधार पर दी जाती है, जिसकी अधिकतम कुल वार्षिक सीमा 9000 रुपये है। अनिवार्य रूप से दी जाने वाली निःशुल्क शिक्षा के लिए कक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति और छात्रों को परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति भी की जाती है।

विमुक्त जाति के बच्चों को छात्रवृतियां

9.10 विमुक्त जाति के बच्चों को स्कूल तथा महाविद्यालय स्तर पर छात्रवृत्तियां देने के लिए अलग से विमुक्त जाति कल्याण योजना चल रही है। वर्ष 1980–81 में इस परियोजना के लिए 43,000 रुपये की व्यवस्था की गई थी।

हरिजन छात्रों के लिए योग्यता छात्रवृति

9.11 नौवीं, दसवीं तथा ग्यारहवीं कक्षाओं की हरिजन छात्राओं के लिए 150 छात्रवृत्तियों की व्यवस्था है। प्रति वर्ष 50 छात्रवत्तियां प्रत्येक कक्षाओं में अर्थात् नौवीं, दसवीं, तथा ग्यारहवीं में क्रमशः 20रुपये, 25 रुपये तथा 30 रुपये प्रति मास की दर से दी जाती है। वर्ष 1980–81 में इसके लिए 45000 रुपये की व्यवस्था थी।

न्यून आय वर्ग के छात्रों को छात्रवृतियाँ

9.12 इस स्कीम के अन्तर्गत मैट्रिक उपरान्त शिक्षा के लिए 1000 रुपये या इससे कम आय वर्ग के माता-पिता के बच्चों को 27 रुपये से लेकर 65 रुपये मासिक दर से छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। इसके अतिरिक्त शिक्षा शुल्क अन्य अनिवार्य फण्ड तथा परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति भी की जाती है। वर्ष 1980–81 में इस स्कीम के अन्तर्गत 1.25 लाख रुपये की राशि खर्च की गई तथा 170 छात्रों को लाभान्वित किया गया।

ग्रामीण क्षेत्र के सुयोग्य बच्चों के लिए माध्यमिक स्तर पर राष्ट्रीय स्तर पर योजना

9.13 ग्रामीण क्षेत्रों के सुयोग्य बच्चों के लिए माध्यमिक स्तर पर राज्य की ओर से 5 छात्रवृत्तियां प्रति विकास खण्ड की दर से दी जाती हैं। चुने गये स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र जो छात्रावास में रहते हैं उनको 1000 रुपये प्रतिवर्ष और डे स्कालरों को 500 रुपये प्रति वर्ष की दर से छात्रवृत्ति दी जाती है। इसके अतिरिक्त जो छात्र अपनी इच्छा के स्कूलों में शिक्षा ग्रहण करते हैं और फीस देते हैं उन्हें 250 रुपये प्रति वर्ष और जहां फीस नहीं ली जाती वहां 150 रुपये प्रति वर्ष की दर से छात्रवृत्ति दी जाती है। वर्ष 1980–81 में इस परियोजना के लिए 2.73 लाख रुपये की व्यवस्था की गई।

अस्वच्छ व्यवसाय में लगे गैर अनुसूचित जाति के लोगों के बच्चों को छात्रवृति.

9.14 अस्वच्छ व्यवसाय में लगे गैर-अनुसूचित जाति के लोगों के बच्चों को भारत सरकार मैट्रिक उपरान्त छात्रवृति देती है। इस स्कीम के अन्तर्गत एक छात्रवृति दी गई जिस पर 2147 रुपये व्यय हुआ।

अध्याय दसवां

"विविध"

खेल कूद

10.1 खेल कूद के विषय को राज्य शिक्षा संस्थाओं की शिक्षा पद्धति में उचित स्थान प्राप्त है। प्रायः खेलों पर व्यय शिक्षा संस्थाओं की मिश्रित निधि से किया जाता है। खेलों के महत्व को देखते हुए राज्य सरकार तथा खेल विभाग भी अनुदान देता है। वर्ष 1980-81 में राज्य सरकार ने 10000 रुपये तथा खेल विभाग ने 5000 रुपये की राशि अनुदान के रूप में दी। नवम्बर 1980 में जूनियर हाकी टूर्नामैंट जिसका आयोजन दिल्ली में हुआ इस में हरियाणा राज्य के श्री गुरु हरि सिंह हाई स्कूल श्री जीवन नगर सिरसा की टीम सयुक्त विजेता घोषित की गई। दिसम्बर 1980 में कलकत्ता में छब्बीसवीं शीतकालीन नैशनल स्कूल गेमज प्रतियोगिताओं में हरियाणा राज्य के स्कूल छात्र/छात्राओं ने निम्न पदक जीते।

मद	स्वर्ण पदक	रजत पदक	कांस्य पदक
1. कुश्ती	2	4	1
2. ट्रिपल जैम्प	1	—	—
3. हैमर थ्रो	1	—	—
4. पोलवाल	—	1	1
5. लांग जैम्प	—	—	1
6. हाई जैम्प	—	—	1

इसके अतिरिक्त नवम्बर मास में दिल्ली में आयोजित हुई मिनी नैशनल गेम्ज़ में भी इस राज्य के छात्रों द्वारा 2 स्वर्ण पदक, दो रजत पदक, एवं एक कांस्य पदक प्राप्त किये गए।

एन0 एस0 एस0

10.2 विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय स्तर पर छात्रों के व्यक्तिगत और उनके बौद्धिक विकास के लिए भारत सरकार की सहायता से हरियाणा राज्य में एन. एस. एस. प्रोग्राम चालू है। वर्ष 1980-81 में एन. एस. एस. प्रोग्राम के अधीन सेवकों की संख्या 14000 और महाविद्यालयों में स्वीकृत एन. एस. एस. यूनिटों की संख्या 120 थी। वर्ष 1980-81 में इस प्रोग्रान के लिए विभाग के बजट में 14,40,000 रुपए की व्यवस्था थी। इस प्रोग्राम पर भारत सरकार तथा राज्य सरकार क्रमशः 7:5 के अनुपात में खर्च करती है।

ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए एन. एस. एस. के स्वयं सेवक विशेष सहयोग देते हैं। ग्रामीण जनता उत्थान हेतु यूथ फार रूरल रिकंस्ट्रक्शन अभियान के अधीन हरियाणा राज्य में वर्ष 1980–81 में 110 शिविर लगाए गए। इन शिविरों में से 31 शिविर रोहतक विश्वविद्यालय द्वारा, 69 शिविर कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारा तथा 2 शिविर कृषि विश्वविद्यालय, हिसार द्वारा लगाए गए इन शिविरों में से कुछ शिविर मलिन बस्तियों में लगाए गए। लगभग 7000 छात्रों ने इन शिविरों में भाग लिया। इन शिविरों में मुख्यता निम्नलिखित कार्यक्रमों पर कार्य किया गया।

(1) Slum Clearance

(2) Eradication of illitracy

(3) Socio-Medical Works

(4) Improvement of sanitation

(5) Plantation of trees

(6) Popularzation & construction of Gobar Gas plants

(7) Eradication of dowry and other social evils

(8) Adult Education

एन0 सी0 सी0

10.3 भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार एन.सी.सी. स्कीम के अन्तर्गत सेना की तीनों शाखाओं जल, स्थल तथा वायु सेवाओं का प्रशिक्षण राज्य में एन.सी.सी. के कैडिट्स को दिया जाता है। विद्यालयों के छात्रों के लिए जूनियर डिविजन स्थापित किए हुए हैं तथा महाविद्यालयों के छात्रों के लिए सीनियर डिविजन भी स्थापित किए हुए हैं। छात्र अपनी स्वेच्छा से एन. सी.सी. प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। अनिवार्य रूप से नहीं। इस परियोजना को चलाने का खर्च भारत सरकार तथा राज्य सरकार मिलकर करती हैं। वर्ष 1980–81 में एन. सी. सी. स्कीम को चलाने हेतु 5340650/– रुपये की बजट व्यवस्था की गई।

सीनियर डिविजन	बटालियन की संख्या	कैडिट्स की स्वीकृत संख्या
इनफैन्टीरी बटालियन (लड़कों के लिए)	12	9600
इनफैन्टरी बटालियन (लड़कियों के लिए)	2	1600
वायु स्कैवड्रन	2	400
जल विंग युनिट	1	200
ग्रुप हैडक्वाटर्ज	2	—

जूनियर डिविजन	बटालियन की संख्या	कैडिट्स की संख्या
आर्मी विंग ट्रूप (लड़कों के लिए)	138	13350
आर्मी विंग ट्रूप (लड़कियों के लिए)	10	1000
वायु विंग	14	1350
जल विंग	5	450

10.4 रैड क्रास

10.4 रैड क्रास संस्था समाज में रोगियों, अंगहीनों घायलों, और निर्धनों की सहायता में महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। संस्था के लक्ष्य एवं उद्देश्यों को छात्रों में प्रिय बनाने के लिए राज्य में जिला स्तर पर जूनियर रैडक्रास संस्थाऐं जिला शिक्षा अधिकारियों की अध्यक्षता में स्थापित की गई हैं। शिक्षा संस्थाओं के रैड क्रास फण्ड में से आवश्यकता ग्रस्त बच्चों को पुस्तकें, वर्दियां, चिकित्सा के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। इसके अतिरिक्त विद्यालयों में एकत्रित रैडक्रास फण्ड की राशि में से कुछ प्रतिशत भाग चण्डीगढ़ के समीप साकेत में अंगहीन बच्चों तथा व्यक्तियों की चिकित्सा हेतु हर वर्ष दिया जाता है।

इस संस्था द्वारा वर्ष 1980–81 में 99 रक्तदान शिविर लगाए गए। इन शिविरों में 7468 व्यक्तियों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। यह संस्था आर्थिक दशा में कमजोर स्त्रियों तथा बच्चों के लिए 21 क्राफ्ट केन्द्र चलाती है। ये केन्द्र रोहतक, हिसार, सिरसा भिवानी और अम्बाला में स्थापित हैं। गरीब बच्चों को वर्दी ट्यूशन फीस किताबों आदि पर जूनियर रैड क्रास निधि से 99.79 रुपये खर्च किये गये। रिपोर्टाधीन अवधि में बच्चों के लिए 5 शिविर जिला स्तर पर अम्बाला कुरुक्षेत्र, करनाल, गुड़गांव तथा रोहतक में आयोजित किए गए। इन कैम्पों में 644 जूनियर तथा 92 सलाहकारों ने भाग लिया। हमारे राज्य के जूनियरों ने तामिलनाडु राज्य की शाखा द्वारा आयोजित शिविर में भी भाग लिया।

वर्ष 1980–81 में जे. आर. सी. ग्रुप में सदस्य संख्या 1499089 थी जिनमें 1049057 लड़के तथा 450032 लड़कियां थी।

भारत स्काउटस एवं गाईडस

10.5 राज्य की शिक्षा संस्थाओं में भारत स्काउट्स एवं गाईडज आंदोलन छात्रों में भ्रातृप्रेम, नेतृत्व की भावना तथा जनजाति की सेवा करने के भाव उत्पन्न करने के लिए उद्देश्य चलाया जा रहा है। यह आंदोलन हरियाणा भारत स्काऊट्स तथा गाईडज एसोशिएशन के संरक्षण में चल रहा है। वर्ष 1980–81 में राज्य सरकार द्वारा इस संस्था को 1.70 लाख रुपये नान-प्लान पक्ष से तथा 1.10 लाख रुपये प्लान पक्ष से अनुदान के रूप में दिये गए।

स्काऊटिंग कैम्प

वर्ष 1980—81 में हरियाणा राज्य भारत स्काऊट्स एवं गाईड्ज एसोसिएशन द्वारा राज्य स्तर पर तारा देवी में 17 कैम्प लगाए गए तथा एक कब्ज रैली की गई जिसमें 1957 स्काऊट्स ने भाग लिया तथा राष्ट्रीय स्तर पर गतिविधियों के 6 कैम्प लगाए गए जिसमें 3000 ने भाग लिया। तीन समाज सेवा कैम्प लगाए गए जिसमें 411 ने भाग लिया।

गाईडज कैम्प

जिला स्तर पर बुलबुल के 4 कैम्प लगाए गए, इन कैम्पों में से 6 से 11 वर्ष की आयु की 1360 लड़कियों ने भाग लिया। राज्य स्तर पर 6 कैम्प लगाए गए इनमें 534 ने भाग लिया तीसरा कैम्प बुलबुल देहली में मनाया गया इसमें राज्य की सभी स्थानों से 115 बुलबुलों ने भाग लिया।

स्कूल केयर फीडिंग प्रोग्राम

10.6 मध्यान्ह भोजन का कार्यक्रम हरियाणा में केयर की सहायता से 117 शिक्षा खण्डों में चलाया जा रहा है। इसके अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित प्राईमरी स्कूलों के छात्र/छात्राओं को मध्यान्ह भोजन देने की व्यवस्था है। यह खाद्य सामग्री केयर की सहायता से मुफ्त प्राप्त होती है। प्रत्येक बच्चे को 80 ग्राम दलिया तथा 7 ग्राम सलाद आयल दिया जाता है। वर्ष 1980—81 में 4.23 लाख बच्चों को मध्यान्ह भोजन का लाभ प्राप्त हुआ।

शिक्षा विभाग ने इस कार्यक्रम पर 40.36 लाख रुपये की राशि खर्च की जिसमें से 5.92 लाख रुपये की राशि केयर संगठन के प्रशासनिक व्यय के रूप में तथा शेष राशि अन्य खर्चों तथा परिवहन व्यय के रूप में खर्च की गई।

घरौण्डा में स्थापित केन्द्रीय किचन द्वारा एक लाख बच्चों के लिए प्रतिदिन पंजीरी तैयार करके स्कूलों में बांटने के लिए भेजी गई। इस किचन के खर्च के लिए सरकार द्वारा 13.76 लाख रुपये की राशि प्राप्त हुई।

पुस्तकालयो का विकास

10.7 रिपोर्टाधीन अवधि में कोई भी नया पुस्तकालय नहीं खोला गया। इस समय हरियाणा राज्य में जिला पुस्तकालयों की संख्या 8 है।

राष्ट्रीय अध्यापक कल्याण प्रतिष्ठान

10.8 वर्ष 1980–81 में राष्ट्रीय अध्यापक कल्याण प्रतिष्टान निधि में लगभग 4.45 लाख रुपये की राशि एकत्रित की गई तथा विपदाग्रस्त अध्यापकों तथा उनके आश्रितों को इस फण्ड में से 2.02 लाख रुपये सहायता के रूप में वितरित की जाने वाली राशि का ब्यौरा इस प्रकार है

1. 72 अध्यापक/अध्यापिकाओं के आश्रितों को 1000/– रुपये प्रति अध्यापक/अध्यापिका की दर से 72000/– रुपये अध्यापकों के अंतिम संस्कार तथा क्रियाक्रम के लिए तदर्थ आधार पर तत्काल सहायता के रूप में दिये ।

2. 87 स्वर्गवासी अध्यापकों/अध्यापिकाओं के आश्रितों को 75/– रुपये से 100/- रुपये प्रति मास की दर से 102500/– रुपये तक की सहायता एक वर्ष के लिए दी गई ।

3. 9 स्वर्गवासी सेवा निवृत अध्यापको।अध्यापिकाओं की लड़कियों की शादी पर 1500/– रुपये प्रति लड़की की शादी पर 13500/–रुपये की सहायता दी गई ।

4. 7 स्वर्गवासी अध्यापकों की विधवाओं को 3117/– रुपये की सिलाई मशीनें खरीद कर दी गईं ।

5. 3 अध्यापकों को उनकी लम्वी बीमारी पर 1500/– रुपये की सहायता के रूप में दिये गए ।

6. अध्यापकों के 33 वच्चों को मैट्रिक उपरांत पढ़ाई करने के लिए मैट्रिक के आधार पर 27480/– रुपये की छात्रवृतियां एक वर्ष के लिए दी गईं ।

परिशिष्ट 'क'

वर्ष 1980–81 में निदेशालय स्तर पर कार्य करने वाले अधिकारी।

क्रमांक	पद का नाम	वर्ग	अधिकारी का नाम
1.	निदेशक शिक्षा	प्रथम	श्री एल0 एम0 जैन, आई0 ए0 एस0
2.	निदेशक विद्यालय	प्रथम	श्री एस0 पी0 मित्तल, आई0 ए0 एस0
3.	संयुक्त निदेशक महाविद्यालय	प्रथम	श्री हरिकृष्ण सिंह
4.	संयुक्त निदेशक विद्यालय	प्रथम	श्री के0 पी0 अबरोल
5.	संयुक्त निदेशक प्रौढ़ शिक्षा	प्रथम	श्री धर्म सिंह ढिल्लों
6.	निदेशक रिसोर्स केन्द्र	प्रथम	डॉ0 स्वर्ण आतिश
7.	प्रशासन अधिकारी	द्वितीय	श्री नन्द किशोर भारद्वाज, एच0 एस0 एस0
8.	उप-निदेशक विद्यालय-I	प्रथम	कुमारी शांता राजदान
9.	उप-निदेशक महाविद्यालय	प्रथम	श्री बी0 एल0 गोस्वामी
10.	उप-निदेशक विद्यालय-III	प्रथम	श्री एम0 पी0 जैन
11.	उप-निदेशक योजना	प्रथम	श्री मति राजदुलारी
12.	अनौपचारिक शिक्षा अध्यक्ष	प्रथम	श्री देव राज सिंह गिल
13.	उप-निदेशक विद्यालय-II	प्रथम	श्री जे0 के0 सूद
14.	उप-निदेशक प्रौढ़ शिक्षा	प्रथम	श्री मति पुष्पा अबरोल

क्रमांक	पद का नाम	वर्ग	अधिकारी का नाम
15.	सहायक निदेशक महाविद्यालय	द्वितीय	श्री नरेन्द्र कुमार
16.	सहायक निदेशक सी0 सी0	द्वितीय	श्री बी0 आर0 बजाज
17.	सहायक निदेशक परीक्षा	द्वितीय	श्री मनमोहन सिंह चौधरी
18.	सहायक निदेशक अध्यापक प्रशिक्षण	द्वितीय	श्री एस0 एस0 कौशल
19.	सहायक निदेशक आंकड़ा	द्वितीय	श्री पी0 सी0 चौधरी
20.	सहायक निदेशक विद्यालय-II	द्वितीय	श्री मती कमला छिकारा
21.	सहायक निदेशक विद्यालय-III	द्वितीय	श्री मती माधुरी जैन
22.	सहायक निदेशक विद्यालय-I	द्वितीय	श्री श्रवण कुमार
23.	सहायक निदेशक प्रौढ़ शिक्षा	द्वितीय	श्री जे0 के0 टण्डन
24.	सहायक निदेशक प्रौढ़ शिक्षा	द्वितीय	श्री धर्मपाल गुप्ता
25.	अनुसंधान अधिकारी-I	द्वितीय	श्री जुगल किशोर
26.	अनुसंथान अधिकारी-II	द्वितीय	कुमारी के0 सुलहान
27.	अनुसंधान अधिकारी-III	द्वितीय	श्री मती सरोज कौशिक
28.	अनुसंधान अधिकारी-IV	द्वितीय	श्री मती वीना शर्मा
29.	लेखा अधिकारी (कालेज)	द्वितीय	श्री डब्लू0 सी0 मलिक
30.	लेखा अधिकारी (विद्यालय)	द्वितीय	श्री आर0 डी0 वेदी
31.	रजिस्ट्रार शिक्षा	द्वितीय	श्री एस0 एस0 मान
32.	बजट अधिकारी	द्वितीय	श्री एम0 एन0 मदान

परिशिष्ट

वर्ष 1980–81 में जिला स्तर पर अधिकारी

क्रमांक	जिला	जिला शिक्षा अधिकारी का नाम	उप-मण्डल शिक्षा अधिकारी का नाम
1.	अम्बाला	कुमारी कृष्णा अरोड़ा	श्री आर0 सी0 वशिष्ठ, अम्बाला श्री बी0 आर0 गोयल, जगाधरी श्री सोहन लाल मसीन, नारायणगढ़
2.	भिवानी	श्री आर0 पी0 गिरधर	श्री अमीर सिंह, चरखी दादरी श्री के0 एल0 धवन, भिवानी श्री आर0 डी0 शर्मा, लोहारू
3.	फरीदाबाद	श्री प्रेम प्रकाश	श्री मोती राम रोहत, फरीदाबाद —रिक्त—, पलवल
4.	गुड़गांव	श्री जगबीर सिंह	श्री गणपत सिंह, गुड़गांव —रिक्त— नूंह श्री बलराज शर्मा, फिरोजपुर झिरका
5.	हिसार	श्री इन्द्र सिंह धई	श्री ओ0 पी0 जैन, हिसार श्री धन सिंह, हांसी श्री कदम सिंह, फतेहाबाद
6.	जींद	श्री जे0 पी0 शर्मा	श्री महावीर प्रकाश शर्मा, जींद श्री साधूराम जैन, नरवाना —रिक्त— सफीदों

क्रमांक	जिला	जिला शिक्षा अधिकारी का नाम	उप-मण्डल शिक्षा अधिकारी का नाम
7.	करनाल	श्री होशियार सिंह मलिक	श्री अविनाश चन्द्र, करनाल श्री वी0 पी0 गौतम, पानीपत
8.	कुरूक्षेत्र	श्री ज्ञान स्वरुप शर्मा	श्री वासुदेव छाबड़ा, थानेसर —रिक्त—, कैथल —रिक्त—, गुहाना
9.	महेन्द्रगढ़	श्री ओ0 पी0 गौतम	श्री एस0 एस0 राघव, नारनौल श्री बृजपाल सिंह, रिवाड़ी —रिक्त—, महेन्द्रगढ़
10.	रोहतक	श्री बाबूराम गुप्ता	श्री लाल चन्द्र, रोहतक श्री ए0 डी0 तालिब, झज्जर श्री हृदय मलिक, बहादुरगढ़
11.	सिरसा	श्री ओ0 पी0 बत्रा	श्री आर0 एन0 मित्तल, सिरसा श्री आर0 एन0 वैद्य, डबवाली
12.	सोनीपत	श्री वी0 एस0 पासी	श्री आर0 जी0 पाण्डे, सोनीपत श्री आत्मा राम शर्मा, गोहाना

परिशिष्ट 'ग'

वर्ष 1980–81 के श्रेणी-I तथा श्रेणी -II के कुल पद कालिज और स्कूलों के अलग-अलग।

क्रमांक	पद का नाम	वर्ग	कुल संख्या	पुरूष	स्त्री
1.	प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय	प्रथम	28	23	5
2.	प्रोफैसर राजकीय महाविद्यालय	प्रथम	2	1	1
3.	निदेशक, शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, गुडगांव	प्रथम	1	1	—
4.	इन्चार्ज विज्ञान यूनिट	प्रथम	1	1	—
5.	इन्चार्ज टैक्नोलोजी सैल	प्रथम	1	—	1
6.	इन्चार्ज सेवाकालिन अनुभाग	प्रथम	1	—	1
7.	प्राचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय	द्वितीय	77	55	22
8.	प्राचार्य जे0 बी0 टी0 स्कूल	द्वितीय			
9.	वरिष्ठ विशेषज्ञ	द्वितीय	3	2 (पद रिक्त)	1
10.	विज्ञान परामर्शी	द्वितीय	1	1 (रिक्त)	—
11.	मूल्यांकन अधिकारी	द्वितीय	1	—	1

क्रमांक	पद का नाम	वर्ष	कुल संख्या	पुरुष	स्त्री
12.	परामर्श दाता	द्वितीय	1	1	—
13.	प्राध्यापक	द्वितीय	1193	895	298
14.	उप जिला शिक्षा अधिकारी/ उपमंडल शिक्षा अधिकारी	द्वितीय	44 (10 रिक्त)	34 (10 रिक्त)	—
15.	जिला शिक्षा अधिकारी	प्रथम	12	11	1
16.	तकनीक प्राध्यापक	द्वितीय	1	1	—
17.	राज्य पुस्तकाध्यक्ष	द्वितीय	1	1	—
18.	जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी	प्रथम	12	6 (2 रिक्त)	4
19.	परियोजना अधिकारी	द्वितीय	12	7 (3 रिक्त)	2
20.	इन्चार्ज टैक्नोलोजी सैल	प्रथम	1	—	1
21.	इन्चार्ज सेवाकालीन अनुभाग	प्रथम	1	—	1

12074—D.P.I.—H.G.P., Chd.